आई.एस.एस.एन. 2230—7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष - 33 अंक 131 अप्रैल-जून, 2015

वर्ष - 33 अंक 131 अप्रैल-जून, 2015

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

अप्रैल-जून, 2015

सलाहकार समिति

आर.आर. वर्मा

महानिदेशक

आर.के. किणि ए.

विशेष महानिदेशक

निर्मल कुमार आजाद

महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

सुनील कपूर

उप महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

011-71213215

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अप्रैल-जून, 2015 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **सोशल नेटवर्किंग : श्वेत-श्याम पक्ष, बम और आई.ई.डी. से आंतरिक सुरक्षा को खतरा और उससे सुरक्षा के उपाय, मानवाधिकार पुलिस कार्यप्रणाली एवं दायित्व, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वी.आई.पी. एवं सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा, थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव, सड़क दुर्घटना : आतंकवाद से अधिक खतरनाक (समस्या एवं सुझाव), प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की राजस्थान पुलिस में प्रासंगिकता** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा
संपादक

वर्ष - 33 अंक 131 अप्रैल-जून, 2015

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जैड. खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अनुक्रम

सोशल नेटवर्किंग : श्वेत-श्याम पक्ष
- *अरुण कुमार पाठक* -- 7

बम और आई.ई.डी. से आंतरिक सुरक्षा को खतरा और उससे सुरक्षा के उपाय
- *डा. एस.पी. सिंह* -- 11

मानवाधिकार, पुलिस कार्यप्रणाली एवं दायित्व
- *डा. इंद्रेश कुमार मिश्र* -- 18

लोकतांत्रिक व्यवस्था में वी.आई.पी. एवं सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा
- *डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा* -- 26

थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव
- *हाकिम राय* -- 34

सड़क दुर्घटना : आतंकवाद से अधिक खतरनाक (समस्या एवं सुझाव)
- *शालिकराम मिश्र, आराधना मिश्रा* -- 43

प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की राजस्थान पुलिस में प्रासंगिकता
- *जालम सिंह* -- 48

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ओम प्रकाशन, डी-46, विवेक विहार (भूतल), दिल्ली-110095

सोशल नेटवर्किंग : श्वेत-श्याम पक्ष

अरुण कुमार पाठक
द्वारा श्री चक्रपाणि मनियार, 113/4, शिवकुटी
(अपट्रान टी.वी. फैक्ट्री के पीछे)
इलाहाबाद-211004

आज का युग इंटरनेट से संचालित हो रहा है। कम्प्यूटर व मोबाइल इस इंटरनेट प्रणाली के प्रमुख उपकरण हैं जो सूचना के प्रवाह को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से पहुंचने में सुगम बनाते हैं। सोशल नेटवर्क विचारों के प्रवाह का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जेन वाई 2012-13 के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकला है कि आज का 75% युवा वर्ग सोशल नेटवर्किंग टूल्स के जरिए अपने संपर्क करने पर विश्वास करता है। सोशल नेटवर्किंग दुनियाभर में इंटरनेट पर होनेवाली नंबर वन गतिविधि है। सोशल नेटवर्किंग केवल सामाजिक संबंध ही नहीं बल्कि कारोबारी साझेदारों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के भी काम आते हैं। यह नेटवर्किंग विचारों, तस्वीरों, वीडियो, कम्युनिटी रचना, संदेशों, नौकरी की संभावनाओं एवं और भी बहुत-सी चीजों के जरिए मित्रों एवं रिश्तेदारों को एक-दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। सोशल नेटवर्किंग का काम इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न साइट्स के जरिए होता है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया है, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यह बात देश और दुनिया के हर कोने तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इन सोशल साइट्स पर आप खुद के विचार रखने के साथ-साथ दूसरों की बातों पर खुलकर अपनी राय भी व्यक्त कर पाते हैं। आरकुट, फेसबुक, माईस्पेस, ट्वीटर, लिंक्ड एल. एन., पिंटररेस्ट आदि कुछ प्रचलित नेटवर्किंग साइट्स हैं। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया है कि यह दुनियाभर के लोगों में एक नशा बनकर उभर रही हैं।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बढ़ रहे आपसी विचारों के आदान-प्रदान को सोशल मीडिया कहा जाने लगा है। सोशल मीडिया को सामान्यतौर पर पारिभाषित करना कठिन है। एक प्रचलित सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार, "सोशल मीडिया को परस्पर संवाद का वेब आधारित एक ऐसा अत्यधिक गतिशील मंच कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से लोग संवाद करते हैं, आपसी जानकारियों का आदान-प्रदान करते हैं और उपयोगकर्त्ता जनित सामग्री को सृजन की सहयोगात्मक प्रक्रिया के एक अंश के रूप में संशोधित करते हैं।"

भारत जैसे विकासशील देश में 6.2 करोड़ से भी ज्यादा लोग (युवा और उम्रदराज सभी मिलाकर) सोशल मीडिया का किसी-न-किसी रूप में प्रयोग करते हैं। भारत में सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा प्रतिदिन करीब 30 मिनट से भी ज्यादा समय व्यतीत किया जाता है।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स में सबसे ज्यादा क्रेज फेसबुक का है। इंटरनेट के सर्वेक्षण के अनुसार यह वेबसाइट आज दुनिया की सिरमौर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अमेरिकी युवा कम्प्यूटर प्रोग्रामर मार्क जुकरबर्ग की यह खोज आज वर्ष 2004 से मात्र 9 वर्षों में ही 1 अरब लोगों तक पहुंच गई है। इसके 1 अरब से भी कुछ अधिक प्रयोक्ता हैं। इसके पश्चात ट्विटर का स्थान है, जिसके 20 करोड़ प्रयोक्ता हैं। गूगल प्लस पर 17.5 करोड़, लिंक्ड इन पर 15 करोड़ तथा पिंटररेस्ट पर 11 करोड़ से ज्यादा प्रयोक्ता सक्रिय हैं।

इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप विचारों को शेयर कर सकते हैं, लाइक-अनलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वाद-प्रतिवाद कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार नई बहसों को जन्म दे सकते

हैं। विचारों की दुनिया में क्रांति लानेवाला सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, जिसकी न तो कोई सीमा है, न कोई बंधन। एक मुक्त आकाश खुला हुआ है, आप जहां तक चाहें वहां तक दौड़ लगा सकते हैं, कुलांचें भर सकते हैं।

दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ती सोशल साइट्स के प्रयोक्ताओं की दीवानगी इसी बात से समझी जा सकती है कि औसतन प्रतिमाह वे फेसबुक पर 405 मिनट, पिंटररेस्ट पर 89 मिनट, ट्विटर पर 21 मिनट, लिंक्ड इन पर 17 मिनट व गूगल प्लस पर 3 मिनट व्यय करते हैं। भारत में फेसबुक व गूगल प्लस, ब्राजील में गूगल प्लस, फ्रांस में स्काई राक, दक्षिण कोरिया में साय वर्ल्ड, चीन में क्यू-क्यू तथा रूस में वेकोनेटाकटे साइट्स लोकप्रिय हैं। अब तो भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग भी अपने विचारों को साझा करने के लिए सोशल साइट बनाने लगे हैं। 'लिंक्ड एल.एन.' कारोबार संबंधी सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। 'मक्सलिम' दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट है तथा 'रिसर्चगेट' दुनियाभर के वैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट है।

इन सोशल नेटवर्किंग साइट के जहां अनेक लाभ हैं, वहीं इनकी हानियां भी हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के श्वेत पक्ष (लाभ) निम्नवत हैं—

1. बिछड़े दोस्तों व परिजनों को मिलाना—इन सोशल साइट्स के माध्यम से कई लोगों ने अपने बिछड़े हुए दोस्तों और परिजनों को खोज निकाला है। इनमें भी फेसबुक ने अग्रणी भूमिका निभाई है। लोगों ने सालों से बिछड़े अपने स्कूली दिनों के साथियों को खोजा है। कई लोगों ने वर्षों पूर्व विदेशों में बस गए अपने परिजनों को पचासों वर्षों बाद खोज निकाला है।

2. शादी की जोड़ियां बनाना—इन सोशल साइट्स ने हजारों की संख्या में लोगों के बीच दोस्ती बनाकर शादियां करने व कराने में मदद की है। आज हजारों जोड़े इन साइट्स की वजह से वैवाहिक बंधन में बंधकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

3. विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद—इन साइट्स की मदद से लोग ऐसे वी.आई.पी./वी.वी.आई.पी. व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने में सफल होते जा रहे हैं जिनसे भौतिक रूप से बात करना, मिलना बहुत ही कठिन है। खेल जगत, फिल्म जगत, राजनीति की हस्तियां आज आसानी से संवाद स्थापित करने के लिए सोशल साइट्स पर उपलब्ध हैं।

4. चुनाव प्रचार में मदद—अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सोशल साइट्स की मदद ले रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स चुनाव प्रचार का माध्यम बनकर उभरी हैं।

5. व्यवसाय में मदद—सोशल साइट्स का उपयोग व्यावसायिक नेटवर्किंग के लिए भी किया जा रहा है। अपने उत्पादों के प्रचार एवं प्रसार, विक्रय एवं विपणन के लिए सोशल साइट्स का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन साइट्स पर यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध है।

6. आंदोलनों में अहम भूमिका—पूरी दुनिया में वैचारिक क्रांति के जरिए परिवर्तन लाने के लिए इन साइट्स का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। वैयक्तिक, राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर अपने विचारों और अभियानों को मजबूती देने के लिए लोग सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। इन सोशल साइट्स ने दिल्ली में निर्भया कांड के बाद भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में चंद समय में व्यापक परिवर्तन करा दिया। सोशल मीडिया ने कई क्रांतियों और वैचारिक बहसों को भी रोचक मोड़ दिया है। सोशल मीडिया की वजह से अरब जगत में क्रांति हुई। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को भी व्यापक समर्थन मिला। उनके लोकपाल कानून लाने के प्रस्ताव को भी व्यापक समर्थन सोशल मीडिया की ही देन है।

7. स्टेटस सिंबल का प्रतीक—सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना स्टेटस सिंबल

का प्रतीक बन गया है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपना एकाउंट नहीं बनाए हैं उन्हें सूचना जगत में बैकवर्ड की संज्ञा दी जा रही है। उन्हें पिछड़ेपन की श्रेणी में माना जा रहा है तथा आज के युग के नेट निरक्षर लोगों की श्रेणी में उनकी गणना की जा रही है।

आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहां सूचना के आदान-प्रदान, जनमत तैयार करने, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को आपस में जोड़ने, भागीदार बनाने और नए ढंग से संपर्क का सशक्त और बेजोड़ उपकरण बनकर उभरी है, वहीं इसके कुछ स्याह (नकारात्मक) पक्ष भी हैं। ये नकारात्मक पक्ष हैं—

1. लोगों में एकाकीपन की भावना विकसित हो रही है। वे वर्चुअल वर्ल्ड (आभासी दुनिया) में जीने लगे हैं। वास्तविक समाज से उनके सरोकार कम होते जा रहे हैं।

2. सोशल साइट्स एक नशे के रूप में उभरी हैं। लोग अपने दैनिक कामों को छोड़कर इन साइट्स पर नित्य प्रोफाइल बदलने, फोटो बदलने, दिन में कई बार स्टेटस अपडेट करने, घंटों चैटिंग करने जैसी आदतों में अपना कीमती समय व्यतीत कर रहे हैं। लोगों की पढ़ाई व रोजगार प्रभावित हो रहा है।

3. इन नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से झूठी अफवाहें तेजी से फैलाई जा रही हैं, जिससे हिंसा, बवाल आदि होने व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है। निरीह लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है तथा सरकारी संपत्ति की क्षति हो रही है।

4. अश्लील सामग्री के प्रसार को भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है।

5. कारोबारी ठगी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से की जा रही है।

6. सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने लोगों को वास्तविक जीवन जीने की बजाय आभासी जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। यह एक ऐसा खेल बन चुका है, जहां एक-दूसरे के साथ लाइक और शेयर के साथ सुख-दुःख और सपने बांटे जाते हैं और अगले ही क्षण रिश्तों को ब्लाक कर व्यक्ति को अवसाद ग्रसित कर दिया जाता है।

7. सोशल साइट्स पर बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं।

8. ये साइटें तलाक के लिए भी कसूरवार मानी जा रही हैं। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि हर पांच में से एक तलाक सोशल साइट्स के माध्यम से हो रहा है।

हर आम व खास का मंच बन चुकी इन सोशल साइट्स की बढ़ती नकारात्मक प्रवृत्ति से इन पर निगरानी की भी मांग उठने लगी है। जरूरत इस बात की है कि तकनीक के प्रयोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि उसके सकारात्मक पक्ष का सकारात्मक लाभ उठाया जा सके एवं इसका सार्थक इस्तेमाल हो सके।

पहली सोशल नेटवर्किंग साइट 'फेसबुक' का जन्म

पहली सोशल नेटवर्किंग साइट के जन्मदाता एक अमेरिकी युवा कम्प्यूटर प्रोग्रामर मार्क जुकरबर्ग थे। इन्होंने सबसे पहले वर्ष 2003 में 'फेसमाश' नाम से वेबसाइट शुरू की, लेकिन हार्वर्ड प्रशासन ने हैकिंग का आरोप लगाकर इस साइट को बंद करा दिया। इसके बाद फेसमाश को 'द फेसबुक डॉट कॉम' के नाम से दुबारा शुरू किया गया। 4 फरवरी, 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने तीन दोस्तों—डस्टिन मास्कोविट्ज, एडुवर्डो सवेरिन और क्रिस हगेंस के साथ मिलकर इस वेबसाइट की शुरुआत की। लोकप्रिय होने पर इसका नाम 'फेसबुक' कर दिया गया। आज यह इंटरनेट की सरताज वेबसाइट है। इसने अपने जन्म के मात्र 04 वर्षों में ही वर्ष 2008 में मार्क जुकरबर्ग को दुनिया का सबसे कम उम्र का अरबपति बना दिया। इस समय लगभग 20 अरब डालर की संपत्ति के मालिक जुकरबर्ग की फेसबुक ने इंटरनेट की दुनिया में इतिहास रचते हुए 5 अरब डालर का आई. पी. ओ. लांच किया। आज फेसबुक को 'वर्चुअल कंट्री' की संज्ञा दी जा रही

है। जनसंख्या की दृष्टि से अनुमान लगाएं तो फेसबुक चीन और भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। दुनियाभर में हर 07 में से 01 व्यक्ति फेसबुक से जुड़ा हुआ है।

अन्य सोशल साइट्स

आर्कुट—अपने रचयिता आर्कुट क्यूक्कोटेक के नाम पर स्थापित यह सोशल नेटवर्क गूगल द्वारा संचालित है। इसके सर्वाधिक उपभोक्ता ब्राजील में हैं। यह वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। अब इसे 'गूगल प्लस' नाम से जाना जाता है।

माई स्पेस—यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से वयस्कों एवं अवयस्कों का सोशल नेटवर्क हैं। इसका मुख्यालय बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में है।

लिंक्ड एल. एन.—यह कारोबार संबंधी सामाजिक नेटवर्किग साइट है। यह वर्ष 2003 से चालू है।

ट्विटर—यह मित्रों, परिवारों, सहकर्मियों को वार्तालाप का साधन प्रदान करनेवाला एवं उन्हें जोड़े रखने वाला सोशल नेटवर्क है। यह भी एक पापुलर साइट है।

बम और आई.ई.डी. से आंतरिक सुरक्षा को खतरा और उससे सुरक्षा के उपाय

डा. एस.पी. सिंह
महबुल्लागंज, कटघर, निकट डिप्टी साहब का अस्पताल, मुरादाबाद (उ.प्र.)

भारतवर्ष में बम और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल आतंकवादियों, नक्सलवादियों, उत्तर पूर्वी राज्यों के अलगाववादियों, उग्रवादियों, प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन, स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सी.मी.) और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्यों तथा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों के जान और माल को तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पुलिस और सुरक्षाबलों को विस्फोटकों के इस्तेमाल को रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, क्योंकि इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रेल ट्रेक को बम विस्फोट से उड़ाकर ट्रेन सर्विसिज को बाधित किया जा रहा है। ट्रेनों तथा बसों में बम विस्फोट द्वारा लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा मारा और घायल किया जा रहा है। हवाई जहाजों को बम ब्लास्ट के जरिए उड़ाया जा रहा है। झूठी फोन काल करके कि हवाई जहाज में बम रखा है, हवाई सेवा की उड़ानों को डिले किया जा रहा है। कम्युनिकेशन लिंक को ध्वस्त किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों में विस्फोट कर श्रद्धालुओं तथा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर, धार्मिक भावनाओं को उभारकर दंगे कराने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में विस्फोट कर न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कंपाउंड में विस्फोट कर प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने के साथ-साथ उनमें भय पैदा किया जा रहा है। राजनैतिक नेताओं को बम और आई.ई.डी. के इस्तेमाल द्वारा मारने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर हमला कर उन्हें अधिकतम नुकसान पहुंचाकर हतोत्साहित किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में घटित हुई कुछ निम्नलिखित घटनाओं तथा उनसे हुई जानमाल की क्षति, उनसे संभावित खतरे तथा आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। खतरा गंभीर है और इसका निदान प्राथमिकता पर शासन और प्रशासन के स्तर पर चिंतन के साथ-साथ जरूरी है।

1. फरवरी 21, 2013 को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के दिलसुखनगर में 2 बम धमाके हुए जिसमें 16 लोग मरे और 117 घायल हुए।

2. अप्रैल 17, 2013 को बंगलौर में बी.जे.पी. दफ्तर के सामने बम धमाके में 16 लोग घायल हुए जिसमें 11 पुलिसकर्मी भी थे।

3. जुलाई 7, 2013 को बिहार के बौद्धगया और वहां स्थित बौद्ध मंदिर परिसर में जगह-जगह बम प्लांट किए गए। इनमें 9 बम फटे जिसमें तिब्बती लामा तेनलिन व म्यामार के बौद्ध भिक्षु विलासांगा घायल हुए। ये हमले म्यामार में रोंहग्या मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में किए गये। ये हमले सोची समझी साजिश के तहत किए गए, क्योंकि महाबौद्धि मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखता है जहां दुनियाभर से लोग आते हैं। इससे पूर्व मक्का मस्जिद हैदराबाद, अजमेर शरीफ दरगाह, संकटमोचन मंदिर वाराणसी, शीतलाघाट वाराणसी में बम विस्फोट किए गए जिनमें काफी लोगों की जानें गईं और घायल हुए। ये विस्फोट सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए किए गए।

4. अगस्त 27, 2013 को नक्सलियों ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में आई.ई.डी. विस्फोट से बी.एस.एफ. का वाहन उड़ा दिया जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हो गए।

5. अक्टूबर 27, 2013 को पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में पहले 7 सिलसिलेवार बम धमाकों में 6 लोग मरे तथा 100 लोग घायल हुए। इन बम धमाकों के संबंध में नवंबर 4, 2013 को रांची (झारखंड) के इरम लोज से 9 जिंदा बम मिले, 19 जेलोटिन स्टिक, 2 इलेक्ट्रोनिक घड़िया मिली। वाराणसी, दिल्ली, बिहार और दक्षिण भारत के कई मंदिरों का एक डायरी में उल्लेख मिला तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिट लिस्ट में पहले नंबर पर दर्शाया गया।

6. दिसंबर 03, 2013 को बिहार के औरंगाबाद जिले में नक्सलियों ने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया जिसमें 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गये।

7. दिसंबर 31, 2013 को उज्जैन (मध्य प्रदेश) से 4 सी.मी. कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और उनसे आई.ई.डी. जेलेटिन रोड डेटोनेटर्स बरामद हुए। इन्होंने पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकार, सुशील कुमार शिंदे पर हमले की योजना बनाई थी।

8. मार्च 22, 2014 को दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिद्दीन के बम एक्सपर्ट और 10 लाख रुपये के इनामी पाकिस्तानी आतंकी ज्याउर रहमान उर्फ वकार को राजस्थान में अजमेर रेलवे स्टेशन से पकड़ा। उसकी निशान देही पर 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। इनमें से 2 को जयपुर से पकड़ा जो इंजीनियरिंग के छात्र थे और 2 को जोधपुर से पकड़ा। इनकी निशान देही पर जयपुर और जोधपुर में उनके ठिकानों से बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर्स, टाइमर्स सर्किट आदि बरामद किए। राजस्थान मोड्यूल द्वारा आतंकी घटना अंजाम देने की योजना थी।

9. अप्रैल 07, 2014 को बिहार के औरंगाबाद जिले में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 सी.आर.पी.एफ. के जवान मारे गए और 7 घायल हुए।

10. अप्रैल 24, 2014 को नक्सलियों ने झारखंड में चुनावकर्मियों को लेकर लौट रही मिनी बस को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया, जिसमें 7 सी.आर.पी. एफ. जवान शहीद हुए। एक मतदानकर्मी भी मारा गया। करीब एक दर्जन लोग भी घायल हुए।

11. मई 01, 2014 को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर बंगलौर-गोहाटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच एस-4 एस-5 में 5 मिनट के अंतराल पर 2 बम विस्फोट हुए जिनमें टी. सी. एस. कर्मचारी 24 वर्षीय स्वाती की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गये।

12. मई 17, 2014 को नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में सुरक्षा वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया जिसमें 7 जवान शहीद हो गये और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए।

13. सितंबर 07, 2014 की रात झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया जिसमें कोयला लदी मालगाड़ी के 24 डिब्बे पटरी से उतर गये। नक्सलियों ने चालक, सहायक चालक और गार्ड को बंधक बना लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया। यह घटना धनबाद रेलमंडल में लातेहार और बेंदी रेलवे स्टेशन के बीच हुई। नक्सलियों ने वहां कुछ पर्चे भी छोड़े जिनमें सरकार की पूंजीवादी नीतियों की आलोचना की गई है तथा उसे गरीबों के खिलाफ बताया गया है।

इनसे पूर्व नवंबर 2007 में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट कचहरी परिसर में हुए जिनमें 10 से ज्यादा लोग मरे और एक दर्जन से भी ज्यादा घायल हुए। मई 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट में हुए लगभग 15 लोग मरे और 76 घायल हुए। जुलाई 2011 में मुंबई के झावेरी बाजार, दादर और ओपेरा हाउस में ब्लास्ट हुए जिनमें 26 लोग मरे और 125 लोग घायल हुए। पिछले 6 वर्षों में (2008 से जून 2014 तक) सरकारी आकलन के मुताबिक 447 लोग आई.ई.डी.

ब्लास्ट में मरे। सन् 2013 में 9500 किलोग्राम विस्फोटक और 900 आई.ई.डी. डिवाइसिज सुरक्षा बलों ने बिहार और झारखंड से बरामद की। सन् 2014 में जून माह तक सी.आर.पी. एफ. ने 2000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की। आई.ई.डी. खतरे को देखते हुए सी. आर. पी. एफ. ने नक्सलियों, आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ अपनी रणनीति बदली है।

पूर्व में विस्फोटकों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों जैसे—सड़कों का निर्माण, तेलों की खोज तथा ब्लास्टिंग आपरेशन आदि के लिए किया जाता था। मगर आज इसका इस्तेमाल देशद्रोही ताकतों द्वारा भय पैदा करने के लिए, अतिविशिष्ट (वी.वी.आई.पी.) और विशिष्ट (वी.आई.पी.) व्यक्तियों की हत्या करने के लिए तथा सरकार और सुरक्षा एजेंसीज की लोगों में साख (इमेज) को कम करने के लिए किया जा रहा है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर कम नुकसान पहुंचाने वाले (लो एक्सप्लोसिव जिनमें गन पाउडर, अमोनल, प्रोपेंलेट्स इत्यादि आते हैं) विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर ज्यादा घातक उच्चकोटि वाले (हाई एक्सप्लोसिव) जिनमें आर.डी.एक्स., टी.एन.टी., पी.ई.टी.एन., सी.-3, सी.-4 इत्यादि आते हैं) विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है।

बम बनाने में निम्नलिखित 4 चीजों को इस्तेमाल किया जाता है—

1. एक्सप्लोसिव
2. डेटोनेटर्स
3. स्विच मेकेनिज्म
4. पावर सोर्स

उपरोक्त चारों चीजों में से अगर किसी भी चीज की कमी है तो बम अधूरा है यानी इनकम्पलीट है। डेटोनेटर्स इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और नान-इलेक्ट्रिक भी। अमेरिकन एक्सपर्ट इन्हें ब्लास्टिंग कैप भी कहते हैं।

आई.ई.डी.—आई.ई.डी. का कोई स्टैंडर्ड डिजाइन, शेप, साइज नहीं होता है, जैसे—कन्वेंशनल बम का होता है। कोई भी ऐसी चीज जो सामान्य जैसी लगे बम, हो सकती है। निम्नलिखित चीजें संभावित आई.ई.डी. हो सकती हैं—

1. ब्रीफकेस बम
2. गिफ्ट पैकेट
3. परफ्यूम बम
4. थर्मस बम
5. सोपकेस बम
6. सिगरेट पैकिंग
7. शोपिंग बेग
8. लेटर और बुक बम
9. टेलीफोन बम
10. टेलकम पाउडर और क्रीम
11. टूथपेस्ट बम
12. कोकोनट बम
13. मेगनेटिक सेंसीटिव बम
14. बेरोमैट्रिक डिले
15. एंटीलिफ्टिंग डिवाइस

यह बमर यानी धमाका करनेवाले की निपुणता पर निर्भर करता है कि वह आई.ई.डी. का कैसे इस्तेमाल करता है। होम मेड बम रोजाना इस्तेमाल में आनेवाली वस्तुओं जैसे डाल्डा टिन, गैस सिलिंडर्स, आग बुझाने वाले यंत्र (फायर एक्सटिग्वसर्स), मिल्क टिन, प्रेशरकुकर टिफिन की शक्ल में बनाया जा सकता है। मगर इसके लिए अच्छे ट्रेंड एक्सपर्ट की जरूरत है। अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल दोनों खूंखार आतंकवादी थे जो अगस्त 2013 में पकड़े गये, बम और आई.ई.डी. एक्सपर्ट थे। उन्होंने पूरे देश में युवाओं को भर्ती भी किया, ट्रेंड भी किया और जगह-जगह भारतवर्ष में बम ब्लास्ट करवाकर भारी जान माल को नुकसान पहुंचाया।

(अ) बम की धमकी के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है :—

इस संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की जरूरत है—

1. कोई भी पैकेज जिसमें बम को आसानी से छुपाया जा सकता है उसको हाई रिस्क टारगेट एरिया से हटा दिया जाए। प्रायः यह देखने में आया है कि वी.वी.आई.पी. अथवा वी.आई.पी. के कमरे बड़े साफ-सुथरे रखे जाते हैं परंतु उनके आसपास के कमरे टी.वी. कारटंस, मशीनरी पैकेजिज और पुराने रिकार्ड के बंडलों से भरे होते हैं। ऐसे स्थान बमर को बम प्लांट करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अनुभव यह भी बताता है कि जहां पर सजावट की आवश्यकता नहीं है। वहां पर काफी तादाद में आफिस के चारों ओर गमले (फ्लावर पोट) रखे होते हैं, उन्हें हटाया जाए। आफिस के पास अगर कोई सीवेज सिस्टम या मेनहोल हो तो उसे बंद कर दिया जाए।

2. सभी खिड़कियां एयर कंडीशनर के रखने की जगह (इनलेट्स), नालियों के पाइप, नालियां तथा सर्विसेज इनलेट्स को सुरक्षित किया जाए।

3. सी.सी.टी.वी. लगाए जाएं जहां पर हाई रिस्क टारगेट रहते हैं।

4. पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मचारियों और रिसेप्सनिस्ट के द्वारा प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का बारीकी से निरीक्षण किया जाए। उन पर खासतौर से ध्यान दिया जाए जो हाथों में सामान ले जा रहे हैं। गाड़ियां अंदर ले जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में सामान अंदर ले जा रहे हैं या डाक ले जाने के बहाने प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करके, तथा हाथों द्वारा अच्छी तरह चेकिंग करके किया जा रहा है।

5. समय-समय पर पुलिस और सुरक्षा बलों, बम डिस्पोजल यूनिट, पुलिस फायर यूनिट द्वारा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन भी करते रहना चाहिए। इसमें फाल्स सीलिंग, रेस्टरूम, आने-जाने के दरवाजे, सीढ़ियों ज्वलनशील पदार्थ रखने वाला एरिया, स्टोर, मेन स्विचिज और बल्ब, रिकार्ड एरिया, सीलिंग लाईट, ड्रेनेज सिस्टम, मेन होल पर ध्यान देने की जरूरत है जहां पर बम रखा जा सकता है।

6. पुलिस सुरक्षाकर्मियों को यह जानना आवश्यक है कि किस स्थिति में बम डिस्पोजल यूनिट की जरूरत है और बम की धमकी मिलने पर किस व्यक्ति से किस फोन नंबर पर संपर्क किया जाए।

7. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों, सीक्योरिटी गार्ड तथा मेनटेनेंस स्टाफ को ट्रैनिंग दी जाने की जरूरत है जिससे कि वह बम और एक्सप्लोसिव डिवाइसिस के बारे में सतर्क रहें और कोई संदिग्ध वस्तु जिससे बम का आभास हो तो तुरंत बम डिस्पोजल यूनिट को खबर देकर बुला लें।

(आ) बम की धमकी पर लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया

बम की धमकी मिलने पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है—

1. बिडिंग से चुपचाप बाहर निकालने को कहा जाए। लोग दौड़े नहीं, क्योंकि इससे भगदड़ मचने का खतरा है और भगदड़ से दबकर मरने और घायल होने का खतरा है। यानी लोगों को निकालें बम को नहीं।

2. अपने-अपने सामान को साथ ले जाएं।

3. गाइड के निर्देशों का पालन करें।

4. बम का प्रभाव कम असर करने के लिए। सारे दरवाजे, खिड़कियां जाने से पहले खोल दे।

5. बिल्डिंग छोड़ने से पहले एलीवेटर्स का प्रयोग न करें।

6. जहां पर बताया गया है वहीं पर इकट्ठे हो और आगे के निर्देशों का इंतजार करें।

7. जहां पर आप एकत्रित हैं उस क्षेत्र को जब तक कहा न जाए तब तक छोड़ें नहीं।

8. अपने स्थान छोड़ने से पहले गैस और फ्युअल लाइन को काट दे।

9. अपने कमरे की बिजली सप्लाई बंद कर दें।

10. बम क्षेत्र में रेडियो का इस्तेमाल न करें।

11. बम पर फ्लैश लाइट न डालें।

12. बम को या किसी संदिग्ध पदार्थ को किसी घर, स्टेशन या आबादी वाले क्षेत्र में न लाएं।

13. वहां से ज्वलनशील पदार्थ को हटा दें।

14. संदिग्ध आब्जेक्ट या बम के चारों तरफ रेते के बेग रख दें। आब्जेक्ट को कवर न करें।

15. लोगों की आवाजाही बंद कर दें जब तक आब्जेक्ट को हटा नहीं दिया जाता है।

16. अपना समय (बम थ्रेट) बम की धमकी के बारे में पूछकर व्यर्थ न करें।

17. बुजुर्ग लोगो, महिलाओं, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने में मदद करे।

18. सुरक्षाकर्मियों तथा बम डिस्पोजल स्क्वाड का रास्ता न रोकें।

19. जहां पर सभी लोग एकत्रित हैं वहां पर अफवाह न फैलाएं, क्योंकि इससे दूसरों में भय पैदा होता है।

20. अपने सुपरवाइजर को अपनी हाजिरी जरूर दें जिससे कि वह गैरहाजिर लोगों का पता कर सके।

(इ) बम एक्सप्लोजन साक्ष्य (ऐवीडेंस) चैक करने की प्रक्रिया :

1. पूरे एरिया की तलाशी लें कि कहीं और बम तो नहीं छुपाकर रखे हैं।

2. धमाके में कितना बड़ा सेंटर (क्रेटर और सीट) बना है, इसका पता लगाएं।

3. धमाके के टुकड़े (फ्रेगमेंट्स) सेंटर से कितनी दूरी तक गए हैं, पता करें तथा बम के टुकड़ों की पूरे एरिया में तलाशी करें।

4. साक्ष्य एकत्र करने के लिए पैरामीटर्स को चेक करने के लिए सर्च टीम गठित करें।

5. बम टेक्नीशियन रिमोट ऐरियाज के सर्च में जरूर रखें।

6. बम एक्सप्लोजन के पूरे एरिया का फोटोग्राफ लें।

7. बम एक्सप्लोजन के बैक ग्राउंड के संबंध में फ्रेगमेंटस के फोटोग्राफ भी लें।

8. क्रेटर का रूल्ड फोटोग्राफ भी लें जिससे कि गहराई तथा उसकी लंबाई-चौड़ाई स्पष्ट दिखे।

9. क्रेटर के एजिज से लाइन लेकर उसकी गहराई लाइन से लेकर तल (वाटम) तक मापें।

10. बम के टुकड़ो (फेगमेंट्स) के लिए क्रेटर को सर्च करें।

11. थोड़े-से मलवे को साफ-सफाई करके साफ गारवेज केस या बक्सों में रखें।

12. बड़े मलवे में बम के सुराख देखें और उसमें बम के टुकड़े तलाश करें।

13. एरिया को सील्ड फ्लोर प्लान के वास्ते माप ले। अगर बाहर है तब उसकी दूसरी सबसे नजदीक वाली बिल्डिंग से मापें।

14. सबसे नजदीकी आदमी और गवाह की दूरी भी मापें।

15. नुकसान का दर्शान नोट्स में करें।

16. सबसे ज्यादा दूरी पर जो ज्यादा क्षति या नुकसान है उसको मापें।

17. प्रवेश द्वार और खिड़कियों को एक्जामिन करें कि इन पर ताला लगा हुआ था या ताला नहीं लगा था या जबरदस्ती से उसमें प्रवेश किया गया।

18. बम के सभी टुकड़ों के सील्ड फोटोग्राफ लें।

19. बम के टुकड़ों और अवशेषों को फोरेंसिक लैब में भेजें जिससे कि विस्फोटक की किस्म का पता लग सके।

(ई) गवाह से पूछने की प्रक्रिया

1. क्या आपने बमर को देखा है।

2. धमाके (एक्सप्लोजन) से पहले, धमाके के दौरान और धमाके के बाद बमर का रंग-रूप, चाल-ढाल (एक्शन) कैसा था?

3. बमर का डाइरेक्शन क्या था? घटनास्थल पर दृश्य क्या था।

4. क्या आप बमर का नाम और उसकी पहचान जानते हैं।

5. एक्स्प्लोजन यानी धमाके से पहले क्या आग निकली या धुआं या जोर की आवाज हुई।

6. फायर बाल का कलर, साइज क्या था?

7. धुएं का रंग कैसा था?

8. किस किस्म की आवाज थी क्या तेज थी, फटी हुई थी, बहुत अधिक थी या लगातार थी।

9. गवाह की एक्स्प्लोजन के स्थान से क्या पोजीशन थी?

(उ) बम को कैसे ब्लास्ट करें

1. बम को अगर उसी स्थान पर ब्लास्ट करना है जहां पर रखा है तो अपने सुपीरियर आफीसर की और उस स्थान के मालिक की अनुमति आवश्यक है।

2. दरवाजे और खिड़कियों को खोल दें।

3. लोगों को वहां से खाली करने को कहे।

4. ब्लास्टिंग वायर को अलग कर दें।

5. गेल्वेनोमीटर का प्रयोग ओपन सर्किट फार शार्टस् को चेक करने के लिए करें।

6. गेल्वेनोमीटर का प्रयोग ओपन सर्किट की कनेक्टविटी को चेक करने के लिए करें।

7. गेल्वेनोमीटर का प्रयोग कैप चेक करने के लिए करें।

8. कैप को सर्किट पर रखें।

9. कैप को एक्सप्लाजिव पर या बम पर रखें और ब्लास्ट फायर के अंत पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

10. सर्किट को चेक करने के लिए गेल्वेनोमीटर का प्रयोग करें।

11. सर्किट में ब्लास्टिंग मशीन रखें।

12. यह सुनिश्चित कर ले कि एरिया खाली करा लिया गया है।

13. इलास्टिंग मशीन को जितना भी संभव हो घुमाये।

14. अपने असिस्टेंट को एक्सप्लोजन का फोटोग्राफ लेने को कहें।

15. क्रेटर का फोटाग्राफ लें।

16. जहां तब बम के टुकड़े गए हैं उनको तलाशें।

(ऊ) लेटर और पार्सल बम के खतरे, उनकी पहचान और सावधानियां

1. लिफाफा सख्त, असामान्य और वजनदार (अनवैलेंस्ड एन्ड हेवी) होता है।

2. लिफाफा देखने या महसूस करने पर लचीला (स्प्रिंग्री) लगता है।

3. इस पर ज्यादा पोस्टेज स्टांप लगी होती है और रेस्ट्रिक्टेड मार्किंग जैसे कान्फीडेंसियल, पर्सनल इत्यादि मार्क होता है। साथ ही यह भी लिखा होता है कि यह उसी व्यक्ति के द्वारा खोला जाए जिसके नाम पर पत्र है।

4. इस पर हाथ से लिखे और खराब टाइप से पते लिखें होते हैं जिनमें सामान्य शब्दों की स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखी होती है।

5. लिफाफे पर वापसी का कोई पता (रिटर्न एड्रेसी) नहीं लिखा होता है।

6. टाइटल या तो गलत होते हैं या गलत नाम के होते हैं।

7. इसमें चिकने (ग्रीजी) पैसिज होते हैं।

8. लिफाफे में चुभने वाले पदार्थ या छेद होते हैं।

9. इसमें अजीब तरह की बदबू आती है।

10. यह चारों तरफ से टेप लगा हुआ या सील्ड होता है।

सावधानियां

1. पार्सल को वहीं पर छोड़ दें जहां पर मिला है या रखा है। उसको न छुएं और न हटाएं अगर आप ड्यूटी बाउंड नहीं हैं।

2. पार्सल को आराम से हैंडल करें। इसको पटकें या धक्का न दें। इसको साफ इधर-उधर या ऊपर-नीचे न करें। इसको किसी भी सूरत में हाथ से न खोलें और न ही तोड़ें।

3. इसको पानी या आग के पास में न रखें।

4. किसी दिखाई देने वाली सुतली, तार या टेप को न ही खींचें, न ही काटें और न ही कवर के किसी हिस्से को फाड़ें।

5. पार्सल को किसी लोहे के बक्से या स्टील के कपबोर्ड में न रखें।

6. इसको टेंपोरेरी कंटेनर में रखें। अगर कंटेनर उस वक्त उपलब्ध नहीं है तो उसको खाली कमरे में रख दें और उसके खिड़की-दरवाजे खोल दें।

7. कमरे के पास खतरे का बोर्ड लगाकर या गार्ड को पोस्ट करके लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दें।

(ए) बम तलाशी लेने के नियम

अगर कहीं पर किसी संदिग्ध आब्जेक्ट या बम रखे होने की सूचना मिलती है तो निम्नलिखित सर्च नियमों का पालन करना आवश्यक है—

1. आवश्यकता से अधिक तलाशी लेने वाले इस्तेमाल न किए जाएं।

2. ज्यादा-से-ज्यादा 2 लोग एक कमरे की तलाशी ले या 250 स्क्वेयर फीट एरिया की तलाशी लें।

3. अलग-अलग कमरों में अलग-अलग तलाशीवाले (सर्चर्स) हों।

4. कभी यह मानकर न चलें कि सिर्फ एक ही डिवाइस प्लांट की गई है। अपनी तलाशी जारी रखें जब तक सारे कमरों की तलाशी या एरिया की तलाशी नहीं ले ली जाती।

5. जब सर्च पूरी हो जाए तब ये मार्क कर दें कि ऐरिया की तलाशी हो चुकी है।

6. तलाशी के बाद 10 मिनट का रेस्ट दें और फिर सर्च शुरू करें।

7. अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित कर दें कि एरिया खतरे से पूर्ण (हेजार्डस) पाया गया।

8. किसी संदिग्ध आब्जेक्ट को हैंडल न करें।

9. किसी चीज पर विश्वास न करें और यह मानकर चलें कि कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है।

10. सिर्फ बाहर से ही देखकर किसी चीज को स्वीकार न करें।

बम की सूचना को हल्के में न लिया जाए भले ही सूचना झूठी हो या पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान बटाने के लिए की गई हो। अगर सूचना घनी आबादी वाले इलाके की हो या किसी महत्वपूर्ण संस्थान में ब्रीफकेस संबंधित हो तो वहीं पर तुरंत कार्रवाई करें। प्रवेश और निकासी के रास्ते सील करें। एरिया की सघन तलाशी लें। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो पूरी छानबीन करें। अगर उस क्षेत्र में पूर्व में कोई घटना घटित हुई है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बम और आई.ई.डी. के खतरे से लोगों को अवगत कराएं। समस्या के निदान के लिए आम जनता और मीडिया का भी सहयोग लें। इस कठिन दौर में समाज और देश हित में यह सभी का कर्तव्य और दायित्व भी है।

मानवाधिकार, पुलिस कार्यप्रणाली एवं दायित्व

डा. इन्द्रेश कुमार मिश्र
सुपुत्र श्री शिवसेवक मिश्र ग्राम व पोस्ट—हरियाणा, जिला हरदोई, पिन-241406

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, "कानून या विधि शब्द से तात्पर्य अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां तथा प्रथाओं इत्यादि से है।"

समाज की व्यवस्थित आवश्यकताओं के संदर्भ में पुलिस का महत्व सर्वोच्च है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश शासन का प्रतिरूप मानी जाती है। अगर हम पुलिस शब्द की विवेचना करते हुए इस विषय 'मानवाधिकार, पुलिस कार्यप्रणाली एवं दायित्व' को समझने के लिए इसके विस्तृत रूप में जाएं तो समझने में आसानी होगी। किस तरह आदर्श वाक्य ने जनता के अंदर एक-दूसरी ही परिभाषा गढ़ दी है, साथ ही तमाम विपरीत परिस्थितियों एवं मानवाधिकार उल्लंघनों के बावजूद भी पुलिसकर्मी सामाजिक दायित्व को पूरी कर्तव्यपरायणता से निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट-2013 का अध्ययन करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के 25 अक्टूबर, 2013 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में देशभर के पुलिसवालों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2012 में पुलिसवालों के विरुद्ध मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित 205 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2011 के 72 मामलो तथा वर्ष 2010 के 37 मामलों की तुलना में काफी अधिक है।

पुलिसवालों के विरुद्ध वर्ष 2012 के मानवाधिकार

देशभर के पुलिसवालों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामले

वर्ष	मानवाधिकार उल्लंघन के मामलें
2012	205
2011	72
2010	37

उल्लंघन के दर्ज 205 मामलों में से मात्र 19 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए और इन सभी मामलों में से एक में भी सजा नहीं दी गई। दूसरी ओर इन मामलों में से सर्वाधिक 102 मामले असम में दर्ज किए गए जबकि दिल्ली में 75 मामले दर्ज हुए। हालांकि असम में किसी भी मामले में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुए जबकि दिल्ली में 12 पुलिसवालों को आरोपी बनाया गया। वर्ष 2011 में दिल्ली में पुलिसवालों के विरुद्ध 50 मामले थे जिनमें 40 के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल हुए। वर्ष 2010 में बिहार व गुजरात में सर्वाधिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पुलिसवालों के विरुद्ध दर्ज हुए थे।

पुलिसवालों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामले संबंधित हैं—व्यक्ति गुमशुदगी, गैर-कानूनी गिरफ्तारी, फर्जी एनकाउंटर, आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध उल्लंघन, जबरन वसूली, यातना, गलत फसाव, प्रतिक्रिया में असफलता, महिलाओं का अपमान, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति व अन्य पर अत्याचार। पुलिसवालों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जेल में कारावास के दौरान वर्ष 2012 में मृत्यु की 414 घटनाएं हुईं। इनमें से सर्वाधिक 106 मामलें उत्तर प्रदेश के हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश के सभी कारागारों के कुल कैदियों में से 54.1 प्रतिशत को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है जो कि राष्ट्रीय प्रतिशत है। इसमें से 59 प्रतिशत कैदियों को हत्या का दोषी करार दिया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या के

दोषी करार हुए।

आजीवन कारावास के राष्ट्रीय औसत 54.1 से कुल 12 राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों के औसत अधिक हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

1. दमन एवं दीव -92.9 प्रतिशत
2. झारखंड -74.7 प्रतिशत
3. आंध्र प्रदेश - 70.7 प्रतिशत
4. छत्तीसगढ़ -69.9 प्रतिशत
5. मध्यप्रदेश - 66.8 प्रतिशत
6. कर्नाटक - 64.7 प्रतिशत
7. पुदुचेरी - 64.2 प्रतिशत
8. बिहार - 62.7 प्रतिशत
9. असम - 59.1 प्रतिशत
10. त्रिपुरा - 58.0 प्रतिशत
11. जम्मू एवं कश्मीर - 56.6 प्रतिशत
12. राजस्थान - 56.3 प्रतिशत

वही नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया, 2011 के आंकड़ों के अनुसार—

● साल 2011 में पुलिसकर्मियों के बरताव के विरुद्ध कुल 61,765 शिकायतें आईं। इनमें से कुल 11,171 मामलों को दर्ज किया गया और 47 पुलिसकर्मियों पर मुकद्दमे चले।

● साल 2011 में पुलिसकर्मियों के बरताव के विरुद्ध सर्वाधिक शिकायतें (17 प्रतिशत) दिल्ली से आई। मध्य प्रदेश का स्थान इस मामले में दूसरा है। यहां पुलिसिया बरताव के विरुद्ध शिकायतों का प्रतिशत (14.7) का रहा।

● साल 2011 में पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 72 मामले प्रकाश में आए। इसमें 46 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हुए। पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक मामले (50) से हैं।

● साल 2011 में पुलिसकर्मियों के बर्ताव के विरुद्ध कुल 61,675 शिकायतें आईं। इनमें से कुल 11,171 मामलों को दर्ज किया गया और 47 पुलिसकर्मियों पर मुकद्दमे चले।

● साल 2011 में पुलिसकर्म्रियों के बर्ताव के विरुद्ध शिकायतें (17 प्रतिशत) दिल्ली से आईं। मध्य प्रदेश का स्थान इस मामले में दूसरा है। यहां पुलिसिया बर्ताव के विरुद्ध शिकायतों का प्रतिशत 14.7 का रहा।

● साल 2011 में पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 72 मामले प्रकाश में आए। इनमें से 46 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हुए। पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक 50 मामले दिल्ली से आए।

भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था

"कानून, किसी समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त रीति-रिवाज या नियमों को कहते हैं, जिसे मानने के लिए वह समुदाय बाध्य है।" (आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार)

संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर पुलिस संगठन कार्यरत है।

पुलिस अर्थात, *पोलाइट* (विनम्र) *ओबिडेंट* (आज्ञाकारी) *लायल* (विश्वासपात्रा) *इंटेलीजेंट* (बुद्धिमान) करेजियस (साहसी) तथा एफीसिएंट (दक्ष)

राष्ट्रीय स्तर पर गृह-मंत्रालय सर्वोच्च निकाय है। गृह-मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बल, गुप्तचर इकाइयां तथा रिसर्च इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में कई प्रकार के निदेशालय, प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूरो तथा संगठन कार्यरत हैं। सभी शासकीय नियम या सामाजिक मान्यताएं मूलतः व्यक्ति एवं समाज के हित में बनाई जाती हैं। इसीलिए भारत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यापक स्तर पर पुलिस तंत्र कार्यरत है। **आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, 'व्यवस्था' शब्द से तात्पर्य "उपद्रव, हिंसा, दंगा तथा अपराध को रोकने हेतु एक निर्मित सत्ता का अस्तित्व तथा कानून सम्मत**

राज्य की व्यवस्था है।" यहां 'व्यवस्था' शब्द सिस्टम का पर्याय नहीं है और न ही आर्डर शब्द आदेश के अर्थ में है बल्कि ला एंड आर्डर उस स्थिति को दर्शाते हैं जहां किसी राज्य में शांति हो, कानून का राज्य हो तथा अवैधानिक, अवांछित तथा आपराधिक गतिविधियां नियंत्रित हों। इस कार्य को बनाए रखने का मुख्य कार्य पुलिस प्रशासन पर है। अतः कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिस एक-दूसरे के पर्याप्त हो गए है। भारत में जन-सुरक्षा, जेल, न्याय, सुधार गृह इत्यादि राज्य सूची के विषय हैं, अतः राज्य के अधीन अपना पुलिस तंत्र कार्यरत है, किंतु आग्नेय एवं विस्फोटक सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, बेतार, केंद्रीय सतर्कता तथा भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि केंद्र सरकार के अधीन हैं। इस प्रकार राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर, आपसी समन्वय तथा सहयोग ही देश के कानूनों के सफल क्रियान्वयन में सहायक बनता है।

गृह-मंत्रालय : गृह-मंत्रालय के अधीन कार्यरत सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, रिसर्च एनालिसिस विंग, इंटेलीजेंस ब्यूरो तथा सहयोगी के रूप में केंद्रीय अन्वेषण इत्यादि ऐसे निकाय हैं जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था में भी केंद्र की भूमिका को सशक्त बनाते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न स्थानों पर हुए दंगों पर नियंत्रण पाने में राज्य पुलिस तंत्र प्रायः असफल रहा है। जिस कारण केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इसी प्रकार की परिस्थितियां प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, जासूसी तंत्र को प्रभावी बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में रही है। केंद्रीय गृह-मंत्रालय न केवल देशभर में कानून एवं व्यवस्था पर नजर रखता है बल्कि यह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को संचालित करने के लिए भी उत्तरदायी है। इस मंत्रालय की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गठित इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट के प्रारंभिक विभागों के समय ही हो चुकी थी। वर्तमान में राज विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह विभाग, राज भाषा विभाग तथा जम्मू-कश्मीर विभागों से यह मंत्रालय अनेक दायित्व वहन करता है।

गृह-मंत्रालय की भूमिका : गृह-मंत्रालय कानून एवं व्यवस्था के निर्माण में निम्नांकित भूमिका को निभाता है—

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर एजेंसियों को सचेत रखना।
2. केंद्र एवं राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
3. बेतार, इंटरपोल तथा अन्य सुविधाओं से सामंजस्य स्थापित करना।
4. केंद्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों की राज्यों में नियुक्ति तथा हथियारों की आपूर्ति करना।
5. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा अन्य कार्मिक नीतियां बनाना।
6. राज्य पुलिस तंत्र को मार्गदर्शन, परामर्श एवं सहायता प्रदान करना।
7. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तथा सूचना प्रणाली पर नियंत्रण रखना।
8. अपराध अन्वेषण कम्प्यूटर नव-तकनीक तथा अपराधी नियंत्रण में पुलिस प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना।
9. जांच समितियों का गठन तथा आवश्यक कार्रवाई करना।
10. राज्यपाल के माध्यम से राज्य प्रशासन पर पर्यवेक्षण करना।

भारत में कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न केवल प्रांतों का दायित्व नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की भी इसमें अहम् भूमिका है। अपराधियों तथा राजनेताओं और उच्च अधिकारियों के मध्य संबंधों को लेकर बोहरा समिति (1995) ने इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला कि देश में भ्रष्टाचार, अपराध तथा सत्ता का आपस में ध्रुवीकरण हो रहा है। अतः सार्थक प्रयासों की

आवश्यकता है, राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की बार-बार बिगड़ती स्थिति के कारण ही केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस संबंध में 27 नवंबर, 1997 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केंद्रीय सैन्य बल (विशेष अधिकार) अधिनियम—1958 के अंतर्गत राज्यों में इनकी तैनाती तथा गोली मारने के आदेश पूर्णतया वैध है, क्योंकि यह कानून एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि "शांति व्यवस्था हेतु सेना की तैनाती कानून नहीं बल्कि एक व्यवस्था है।" अतः अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार न केवल अपनी ओर से अर्द्ध सैनिक बल भेज सकती है बल्कि सेना भी तैनात कर सकती है। गृह-मंत्रालय किसी भी समाज की आंतरिक सुरक्षा एवं व्यवस्था को अनुशासित बनाए रखने तथा शासन द्वारा प्रवर्तित कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की स्थापना प्राथमिक आवश्यकता है। गृह विभाग जिसे सामान्यतया पुलिस विभाग का पर्याय समझा जाता है। इसकी स्थापना मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में ही हो चुकी थी। जबकि राजशाही व्यवस्थाओं में नगर कोतवाल तथा चौकीदार के पद सृजित किए जाने लगे थे। भारत सरकार का वर्तमान गृह-मंत्रालय ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित तथा बार-बार पुनर्सेवित विभाग है। सन् 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत सरकार का केंद्रीय सचिवालय तथा बंगाल सरकार का सचिवालय पृथक किए गए। इस समय इस विभाग के अधीन सामान्य, राजस्व, समुद्री, न्यायिक, विधि तथा चर्च संबंधी कार्यों की शाखाएं कार्यरत थीं। सन् 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से पुलिस तथा सैनिक कार्यों को पृथक किया गया। वर्तमान पुलिस तंत्र मूलतः सन् 1861 के कानून पर ही आधारित है।

गृह-मंत्रालय कार्यों को लेकर कई भागों में बँटा हुआ है जिससे समस्त कार्य सुचारु रूप से हो सके। इसी में एक यूनिट है आंतरिक सुरक्षा प्रभाग जिसमें कई प्रकार के सुरक्षा बल कार्यरत हैं। सन् 1965 में स्थापित सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा तथा तस्करी एवं घुसपैठ नियंत्रण का कार्य करता है। जबकि असम राइफल्स सन् 1833 में काचेर लेवी नाम से शुरू पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (1962) उत्तरी सीमा पर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद के विरुद्ध, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (1939) विद्रोह दंगे तथा आंदोलनों के नियंत्रण के लिए तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (9 मार्च, 1968), लोक उपक्रमों में कार्यरत किए जाते हैं। इस मंत्रालय के विसद तथा गंभीर कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो कार्यरत है जिसकी स्थापना 1857 में 'ठगी विभाग' की एक शाखा के रूप में हुई थी। अग्निशमन, अपराध, न्यायालयिक विज्ञान जनगणना विदेशी नागरिक पंजीकरण, पुलिस प्रशिक्षण, अपराध रिकार्ड, जनगणना, अनुसंधान इत्यादि से संबंधित समस्याएं एवं कार्यालय इस मंत्रालय से संबद्ध है। पुलिस आयोग, पुलिस प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देता है। जबकि संसदीय कानून द्वारा अक्टूबर, 1993 में स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था के रूप में आम व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। मानवाधिकार आयोग के सम्मुख आनेवाली अधिकांश शिकायतें पुलिस के अत्याचारों से संबंधित होती हैं। प्राचीनकाल से ही सर्वप्रमुख कार्य नागरिकों की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था तथा न्याय के सुनिश्चित करना रहा है। लोक कल्याणकारी राज्यों के प्रवर्तन से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास, भोजन तथा रोजगार की सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाना राज्य के प्राथमिक दायित्व हो गए हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के बिना ये कार्य सुचारू रूप से कर पाना संभव नहीं है। यह तो अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, राज्य के स्थायित्व तथा आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रत्येक शासन

व्यवस्था में विद्यमान रही है।

प्राचीन धर्म एवं ज्ञान ग्रंथों-मनुस्मृति तथा शुक्रनीतिसार इत्यादि से पुलिस प्रशासन के सुसंगठित स्वरूप का वर्णन मिलता है। मौर्यकाल की शासन व्यवस्था का वर्णन कौटिल्य के द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में किया गया है जिसमें नायक को नगर रक्षक, प्रशस्ति को दंड नायक एवं दंडपाल को रक्षा विभाग का अधिकारी बताया गया है। प्राचीन समय में राजाओं की नगरी में 'कोतवाल' को पुलिस प्रशासन का मुखिया तथा नगर सैनिकों एवं चौकीदारों को सिपाही के रूप में पदस्थापित किया जाने लगा है। राजशाही व्यवस्था में सेना तथा पुलिस के कार्य आज की भांति पूर्णतया पृथक नहीं बल्कि अंतर्संबंध थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त कर 'दरोगा सिस्टम' की नींव रखी तथा सन् 1781 में जिला दंडनायक का पद सृजित किया।

सन् 1808 में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) का पद सृजित किया गया। लेकिन 1829 में यह पद समाप्त कर राजस्व आयुक्त को पुलिस का कार्य दे दिया गया तथा सैन्य अधिकारी पूर्व की भांति पुलिस प्रशासन में सहयोग करते रहे हैं। सन् 1855 में 'यातना (टार्चर) आयोग' की रिपोर्ट में कंपनी के इस निर्णय की आलोचना की गई जिसमें पुलिस तथा राजस्व का कार्य एकीकृत किया गया था क्योंकि इससे अव्यवस्था बढ़ गई थी। वर्तमान भारतीय पुलिस प्रशासन 'सन् 1860 के पुलिस आयोग' की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी अनुशंसा पर 'पुलिस अधिनियम, 1861' पारित किया गया तथा पुलिस अधीक्षक को जिला दंड नायक के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया और प्रांतों का मुख्य पुलिस अधिकारी, महानिरीक्षक (आई.जी.) कहलाया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि सेना को पुलिस से पृथक कर दिया गया। चालीस वर्ष पश्चात सन् 1902 में एक अन्य पुलिस सुधार आयोग की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक का पद निर्मित किया गया ताकि जिला प्रशासन कुशलता से कार्य कर सके।

पुलिस शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जिसका तात्पर्य व्यवस्था को बनाए रखने से है। यद्यपि भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है तथापि अधिकांश राज्यों का पुलिस प्रशासन लगभग एक समान प्रतीत होता है। यह राज्य के गृह-मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में पुलिस प्रशासन की निम्न विशेषताएं कही जा सकती हैं—

1. जितनी राजा की उत्पत्ति प्राचीन है उतना ही पुलिस प्रशासन।

2. पुलिस प्रशासन का मुख्य कार्य राज्य के कानूनों का क्रियान्वयन सुचिश्चित करना है।

3. सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय तथा एकता के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक है।

4. पुलिस प्रशासन की कुशलता न्याय प्रणाली की सफलता को प्रभावित करती है।

5. भारत में पुलिस आम आदमी के मनोमस्तिष्क में भय उत्पन्न करती है।

6. पुलिस का इतिहास प्रत्येक युग में कल्याणकारी एवं अत्याचारी दोनों का रहा है।

7. सामाजिक न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता के मूल्य संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारा पुलिस तंत्र पूर्णतया सफल नहीं रहा है।

8. भारतीय पुलिस को जन सहयोग कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है।

9. मानवाधिकारों की बढ़ती मांग ने पुलिस प्रशासन को प्रभावित किया है।

ग्रामीण स्तर पर तथा शहरी कालोनियों में पुलिस प्रशासन का प्राथमिक कार्यालय पुलिस चौकी होती है जिनमें 5 से 7 तक कर्मचारी होते हैं, पुलिस चौकी के ऊपर थाना (पुलिस स्टेशन) होता है जो वास्तविक कार्यकारी स्तर है। थाना प्रभारी एस.एच.ओ. (स्टेशन हाउस आफिसर) कहलाता है। कई थानों के ऊपर एक वृत्त होता है। तत्पश्चात पुलिस जिला अधीक्षक का

कार्यालय होता है। शहरी क्षेत्रों का थाना कोतवाली के नाम से तथा आसपास ग्रामीण क्षेत्रों का थाना सदर के नाम से जाना जाता है। बढ़ती आबादी तथा अपराध वृद्धि के कारण अब एक ही शहर में बहुत-से थाने कार्यरत होते हैं। गांवों में सामान्यतया एक थाने के अधीन 20 से 135 गांव आते हैं। पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी राज्य सरकार को परामर्श देने, नीति निर्माण करने, अधीनस्थ कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने, कार्मिक तंत्र संचालित करने, अधीक्षण या समन्वय तथा नियंत्रण के कार्य निर्वाहित करते हैं। जिला स्तर पर कार्यरत पुलिस अधीक्षक जिले की कानून व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होता है। सामान्य पुलिस के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की पुलिस व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे—रेलवे पुलिस, गुप्तचर पुलिस, यातायात पुलिस, दूरसंचार पुलिस, सशस्त्र पुलिस तथा होमगार्ड इत्यादि जो अपने-अपने क्षेत्र का विशिष्ट कार्य करते हैं तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

विगत दशकों से भारत में पुलिस की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनेक प्रयास किए हैं। किंतु बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, नैतिक मूल्यों में गिरावट, राजनीतिज्ञों तथा अपराधियों के संयुक्तीकरण, आतंकवाद, नशीली दवा, व्यापार, व्यक्तिवाद, संचार क्रांति, उद्देश्यहीन शिक्षा, भौतिकवाद, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, जातिवाद तथा धार्मिक असमानता ने पुलिस के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं।

विश्व बैंक की नजर में उत्तर प्रदेश की पुलिस :

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की पुलिस को केवल एक प्रतिशत जनता ही ईमानदार मानती है।

● इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यायिक प्रणाली की विफलता से राज्य में रहनेवाले विश्व के कुल 8 प्रतिशत गरीबों के गरीबी उन्मूलन में भी बाधा आ रही है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों के एक बड़े हिस्से में प्रदेश की पुलिस को गैर-मददगार बताते हुए उसे घूस देने की बात स्वीकार की। ऐसे 94 प्रतिशत लोगों ने माना कि पुलिस भ्रष्ट है जबकि केवल एक फीसदी लोगों ने उसे ईमानदार बताया है। 13 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हाल के दिनों में मदद होने की जरूरत होने के बावजूद उन्होंने केवल भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और परेशान किए जाने के डर से पुलिस से संपर्क नहीं किया।

● रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो पुलिस के सामने आनेवाले मामलों में 81 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में देश और पुलिस की न्यायिक प्रणाली को, लोगों की शिकायतें दूर करने में रुकावट करार देते हुए कहा गया है कि पुराने वादों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रणालीगत जटिलताओं के कारण गरीबों को कानूनी राहत नहीं मिल पा रही है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, देश की विभिन्न अदालतों में अनुमानतः 2.5 करोड़ मामले लंबित हैं। विवादों के निस्तारण में होने वाली देरी के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इनमें न्यायाधीशों की संख्या में कमी प्रमुख कारण है। भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों पर जबकि पश्चिमी देशों में यह संख्या इसके पांच से दस गुनी अधिक है।

● रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में कानून पुराने पड़ गए हैं, नागरिक प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.) काफी समय लेने वाली है। जबकि नए वैकल्पिक कानून अभी शुरुआती दौर में हैं, लगभग 60 फीसदी मामलों में सरकार स्वयं एक पक्ष बनी हुई है। इनमें से अधिकांश मामले कराधान, ऋण, किराया-नियंत्रण, शहरी भूमि हदबंदी तथा श्रमिक कानून से जुड़ें हैं।

● विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीब भी दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि एक बार सजा होने पर कमजोर आर्थिक स्थिति होने के कारण अपील करने की

स्थिति में नहीं होता और उसे जेल में रहना पड़ता है।

● विश्व बैंक की रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अप्रैल 1996 से मार्च 1997 के बीच जेल भेजे गए कैदियों में लगभग 80 फीसदी पर अब तक कोई दोष सिद्ध नहीं हो सका है। रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1994 में एक लाख ग्यारह हजार मामले लंबित थे। यह संख्या देशभर में सर्वाधिक है। इनमें लगभग 90 हजार मामले पांच से आठ वर्षों में लंबित थे। आम लोगों में कानूनी जानकारी का अभाव, जातीय भेदभाव, मुकदमे लड़ने के लिए भारी खर्च आने जैसी बातों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायाधीशों की कमी तथा जटिल कानूनों की समस्या दूर करने भर से इस मामले में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक व्यापक सुधार कार्यक्रम की आवश्यकता होगी।

● समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों की पहुंच थानों तक बढ़ाने के लिए सरकार ने थानों पर नियुक्ति का आधार जाति को बनाया जिससे इस तबके के लोग निर्भीक होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सके तथा उनको दबंगों के उत्पीड़न से मुक्त रखा जा सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन तैनातियों से दलितों व पिछड़े वर्गों को न तो न्याय मिला और न ही उनके साथ होनेवाले अत्याचार की वारदात में कमी आई। यह तैनाती नौकरशाही व पुलिस प्रशासन में कुछ लोगों को रेवड़ी बांटने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकी। पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण व उसे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने न तो कोई योजना तैयार की और न ही उस पर विशेषज्ञों की सलाह ली गई। पुलिस तंत्र को स्वायत्ता देने की बात तो दूर उसे सीधे अपने नियंत्रण में रखने के लिए मुख्यमंत्रियों ने गृहमंत्री के रूप में नियुक्ति की परंपरा समाप्त कर दी।

किन परिस्थितियों में काम कर रही है पुलिस : पुलिस पर प्रतिदिन न जाने कितने ही आरोप लगाए जाते हैं। इसका अंदाजा आम जनता को बखूबी है। पुलिस पक्षपात करती है, पुलिस काम नहीं करती? इस तरह जाने कितने आरोप पुलिस पर रोज लगाते हैं। जो कोई भी किसी-न-किसी रूप में पुलिस से असंतुष्ट होता है, वह इसी तरह के तमाम आरोप लगाता है। पुलिस पर कुछ आरोप सही भी कहे जा सकते हैं। लेकिन उनके पीछे कुछ कारण होते हैं। यह जानने का प्रयास कोई नहीं करता है कि पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है। उसके सामने रोज कितनी तरह की समस्याएं आती हैं। इसके बावजूद पुलिस कुछ-न-कुछ करती है। पुलिस काम नहीं कर रही होती तो शायद लोग उसके पास नहीं जाते, मदद नहीं मांगते। उत्तर प्रदेश में पुलिस के काम-काज पर नजर डालें तो पता चलता है कि पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है।

● प्रदेश में पुलिस बल की संख्या, जनसंख्या के अनुपात में बेहद कम है, यहां करीब एक हजार की आबादी पर एक पुलिसकर्मी काम कर रहा है।

● विकसित देश में सौ व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी का औसत है। यहां देहात क्षेत्रों में पचास हजार पर और शहर में 75 हजार से अधिक आबादी पर एक थाना होना चाहिए। लेकिन पांच लाख से अधिक की आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक-एक थाने पर है। इसके साथ आए दिन होनेवाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस व अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों की भी जिम्मेदारी इन पुलिस पर ही होती है।

● इसके बावजूद अपेक्षा की जाती है कि पुलिसकर्मी 24 घंटे गश्त पर दिखे। संसाधन के नाम पर पुलिस के पास अन्य सरकारी विभागों की अपेक्षा सबसे खस्ता गाड़ियां हैं। उनके लिए भी पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था नहीं है। दरोगा को आज भी पेट्रोल के लिए इतना पैसा नहीं मिलता है कि जिससे वह 10 दिन क्षेत्र में भ्रमण कर सके। थाने में लिखने को कागज भी साल में छह माह ही पूरा पड़ता है।

इसी को देखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार पुलिस

बल की संख्या बढ़ाने, प्रमोशन एवं आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस तंत्र के सबसे छोटे कर्मचारी सिपाही को देखें तो उससे औसतन बारह घंटे मुस्तैद रहने और अपने इलाके में हर जगह मौजूद रहने की अपेक्षा की जाती है। इन बारह घंटों में सिर्फ कार्य सरकार (अपनी ड्यूटी) का ही करना होता है। इस बीच में वह कहां जाता है? वह कहां खाता है? उसके रहने की व्यवस्था क्या है? दूर-दराज पर वह किन परिस्थितियों में है? सिपाही या दरोगा की अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? इस सबसे कोई मतलब है कि नहीं। यही सब वजह है कि जिससे पुलिसकर्मी मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। जरा-जरा सी बात पर गुस्सा जाते हैं। इन परिस्थितियों में पुलिस से जनता के साथ ज्यादा अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। गोष्ठियों व सम्मेलनों में व्याख्यान देनेवाले, पुलिस से और भी ज्यादा उम्मीदें करते हैं। अफसर मानते हैं कि काम के बोझ और तनाव के चलते पुलिसकर्मियों का व्यवहार असामान्य हो जाता है, पुलिसकर्मियों के इस पक्ष को लेकर चिंतित दिखते हैं। इसके लिए साप्ताहिक अवकाश का फार्मूला लाने का प्रयोग चल रहा है, लखनऊ में इसको लेकर कुछ थानों में कवायद भी शुरू कर दी गई है। प्रयोग सफल रहा तो अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पुलिसकर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा जिससे वह भी तनावमुक्त रह सकें।

संदर्भ-सूची

1. राजकिशोर, मानव अधिकारों का संघर्ष-वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-1995

2. डा. सुरेंद्र कटारिया, मानवाधिकार, सभ्य समाज एवं पुलिस, आर.वी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर-2003

3. Dr. Manohar Prabhakar, Dr. Sanjeev Bhanabat-Human Right And Media, University Book House (Pvt.) Ltd., Jaipur-2004

4. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट-2013

लोकतांत्रिक व्यवस्था में वी.आई.पी. एवं सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा

डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) 484886

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कर्तव्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में परिवर्तित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह सुरक्षा प्रदान करना निरंतर कठिन होता जा रहा है। यह कठिनाई विशेषरूप से उस व्यवस्था में अधिक हो जाती है जहां पर आतंकवाद का साया और अपराध का ग्राफ अधिक पाया जाता है। भारत भी इस साये से अछूता नहीं है। आतंकवाद का साया और अपराधियों का भय समाज में सभी को बना रहता है परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में बड़े राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और समाज के अन्य लोगों को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुछ व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा ऊंची दिखाने के लिए भी वी.आई.पी. सुरक्षा लिए हुए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुसार देश में औसतन 578 लोगों की सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी है लेकिन वी.आई.पी. सुरक्षा ले रहे करीब 17 हजार की सुरक्षा में 50 हजार जवान तैनात हैं अर्थात् एक वी.आई.पी. की सुरक्षा में औसतन तीन जवान। सुरक्षार्कर्मियों का अंतर यह दर्शाता है कि पुलिसकर्मियों का एक प्रतिशत वी.आई.पी. सुरक्षा में व्यस्त रहता है जबकि 578 व्यक्ति एक पुलिसकर्मी के भरोसे स्वयं को सुरक्षित महसूस करने को मजबूर रहते हैं।

भारत में किसी राजनीतिक या विशिष्ट को वी.आई.पी. सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के बाद होता है। खतरे के आधार पर वी.आई.पी. सुरक्षा पाने वाला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, व्यवसायी, क्रिकेटर, सिनेमा का कलाकार, साधु संत या अन्य कोई भी हो सकता है। खतरा होने पर सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले को संभावित खतरा बताकर सरकार के समक्ष आवेदन करना होता है। आवेदनकर्ता उस स्थान पर आवेदन करता है जहां वह रहता है। सबसे पहले राज्य सरकार इस मुद्दे को लेती है और व्यक्ति बताए खतरे के आकलन पर खुफिया पुलिस एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी पुष्टि होने पर राज्य में गृह सचिव महानिदेशक और मुख्य सचिव की एक समिति यह तय करती है कि उसे संभावित खतरे के मद्देनज़र किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। ऐसे व्यक्तियों का ब्योरा औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दिया जाता है। दिल्ली में रहनेवाले सीधे गृह मंत्रालय को आवेदन करते हैं, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था का मसला सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति खुफिया रिपोर्ट पर तय करती है कि किसको कितना खतरा है तथा उसे किस श्रेणी की सुरक्षा दी जाए।[1]

भारत में वी.आई.पी. सुरक्षा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

एस.पी.जी. सुरक्षा—एस.पी.जी. अर्थात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए यह छह महीने तक रहती है। इसके अतिरिक्त विशेष कानून प्रावधान के जरिए यह सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं उनके परिजनों को अनिश्चित काल के लिए दी गई है।

जेड प्लस श्रेणी—यह उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा है। जेड प्लस में 36 बेहतरीन जवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। मार्शल आर्ट प्रशिक्षित जवान बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ने में सक्षम होते हैं। वे अत्याधुनिक एम.पी.-5 बंदूकों एवं संचार के साधनों से भी लैस होते हैं। सुरक्षा काफिले में जैमर, रोड ओपनिंग वाहन आदि भी दिए जाते हैं। अभी यह सुरक्षा 24 लोगों को प्राप्त है। इनमें 17 को एन.एस.जी. (नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड) और सात को सी.आई.एस.एफ. (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) यह सुविधा दे रहा है।[2]

जेड श्रेणी—जिन मामलों में खतरे का आकलन जेड प्लस से थोड़ा कम होता है, उन्हें जेड श्रेणी की सुविधा दी जाती है। इस श्रेणी के तहत सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., बी.एस.एफ. या दिल्ली पुलिस के 28 जवान तैनात रहते हैं। देश में अभी तक यह सुरक्षा 38 लोगों को प्राप्त है।

वाई श्रेणी—सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत यह तीसरे स्तर की सुविधा है जिसमें 11 जवान रहते हैं। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के जवान यह सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में इस स्तर की श्रेणी के स्तर की सुरक्षा सैकड़ों लोगों को प्राप्त है।

एक्स श्रेणी—यह सुरक्षा की चौथी श्रेणी है। इस श्रेणी की सुरक्षा में 2 जवान रहते हैं जो सामान्यतया राज्य के पुलिस बलों से लिए जाते हैं। इन्हें पी.एस.ओ. कहा जाता है। ऐसी सुरक्षा ले रहे लोगों की संख्या भारत में हजारों में है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2010 में 50,059 पुलिसकर्मी 16,788 वी.आई.पी. की सुरक्षा में तैनात हैं। तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या अनुमोदित संख्या से 21,761 अधिक थी।

आंकड़ों के अनुसार पंजाब, जहां पर 11,000 पद रिक्त हैं, सबसे अधिक पुलिसकर्मी 5,710 वी.आई.पी. सुरक्षा में तैनात हैं इसी प्रकार पुलिसकर्मियों के कमी के उपरांत भी दिल्ली में 5,100 पुलिसकर्मी तथा आंध्र प्रदेश में 3,958 पुलिसकर्मी वी.आई.पी. सुरक्षा में तैनात हैं। आंध्र प्रदेश में अनुमोदित पदों की तुलना में 40,596 पद रिक्त बने हुए हैं।3

भारत में वर्तमान में अधिकतर उपरोक्त राज्य ऐसे हैं जहां तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या स्वीकृत पुलिसकर्मियों से कहीं कम है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वी.आई.पी. की सुरक्षा हेतु स्वीकृत पुलिसकर्मी नहीं हैं परंतु इसके उपरांत भी इन राज्यों में सुरक्षा पर रहे वी.आई.पी. पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या काफी अधिक है जिनमें असम सबसे ऊपर है। नेशनल सिक्यूरिटी गार्ड ने प्रथम बार वी.आई.पी. सुरक्षा कर रहे कमांडोज को वापस लेने का निश्चय किया है तथा उन कमांडोज को आतंकवाद प्रतिरोध एवं हाइजैक प्रतिरोध विशेषज्ञ की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। 4

वर्तमान में यह बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग वी.आई.पी. सुरक्षा ले रहे हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना आवश्यकता सुरक्षा प्राप्त करने वालों के संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त करना समाज में एक स्टेट्स सिंबल बनता जा रहा है। अधिक-से-अधिक व्यक्ति सरकारी वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। विशेषज्ञों द्वारा दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि फिल्म स्टारों, क्रिकेटरों तथा व्यवसायी आदि को सरकारी सुरक्षा क्यों प्रदान की जाए जबकि आज निजी क्षेत्र में अच्छी सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। यद्यपि इसके लिए उनसे शुल्क भी लिया जाता है परंतु इस शुल्क से आम व्यक्ति की सुरक्षा की भरपाई नहीं की जा सकती। चूंकि आम व्यक्ति केवल पुलिस के भरोसे ही सुरक्षित महसूस करता है।

भारत में पुलिस विभाग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। राज्यों को पुलिस बल का अधिकतम 10 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को ही वी.आई.पी. सुरक्षा में

तालिका—1
वर्ष 2012 में भारत में पुलिसकर्मियों/अधिकारियों की अनुमोदित एवं उपस्थित संख्या

क्र.सं	राज्य संघ राज्य	महा.निदेशक/ अति.महानिदेशक पुलिस महानिरिक्षक पुलिस उपमहानिरिक्षक		वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक अति. पुलिस अधीक्षक सहा. पुलिस अधीक्षक		निरीक्षक, पु.उपनिरीक्षक सहा. उपनिरीक्षक		सहायक उपनिरीक्षक से नीचे के कार्मिकों		कुल योग	
		वास्तव	मंजूर	वास्तव	मंजूर	वास्तव	मंजूर	वास्तव	मंजूर	वास्तव	मंजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	71	57	792	645	14498	9697	91842	71637	107203	82036
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	7	64	60	677	460	4572	4119	5322	4646
3.	असम	49	34	386	239	7013	6356	24740	15663	32188	22292
4.	बिहार	55	53	501	325	14752	10857	54286	41805	69594	53040
5.	छत्तीसगढ़	38	37	370	271	3362	2639	24269	23602	28039	26549
6.	गोवा	4	3	42	37	429	368	3957	3788	4432	4196
7.	गुजरात	70	72	398	341	12674	9869	58733	42935	71875	53207
8.	हरियाणा	47	37	240	226	6805	5591	41477	32571	48569	38425
9.	हिमाचल प्रदेश	41	33	182	177	1694	1510	8914	7971	10831	9691
10.	जम्मू एवं कश्मीर	37	56	462	687	6548	5567	44712	42584	51759	48894
11.	झारखंड	32	27	379	207	9050	6293	46241	36051	55702	42578
12.	कर्नाटक	77	58	651	528	9421	7816	68317	55524	78466	63926
13.	केरल	33	25	380	381	4281	3944	36821	35095	41515	39445
14.	मध्य प्रदेश	75	147	938	700	13965	9280	54049	46535	69027	56662
15.	महाराष्ट्र	114	106	994	635	33076	25828	156903	144421	191087	170990
16.	मणिपुर	26	17	142	98	2681	1513	14186	7943	17035	9571
17.	मेघालय	21	14	70	59	1111	988	6144	4982	7346	6043
18.	मिजोरम	8	6	92	83	1130	1073	3471	3307	4701	4469
19.	नगालैंड	22	22	78	72	519	456	5394	5087	6013	5637

20. उडीसा	44	42	562	389	8259	6793	24622	22209	33487	29433
21. पंजाब	60	51	465	417	7276	6168	55900	53429	63701	60065
22. राजस्थान	47	54	765	575	10362	6925	56688	55063	67862	62617
23. सिक्किम	12	13	72	58	292	244	1809	1326	2185	1641
24. तमिलनाडु	99	75	948	786	11180	8820	87126	71341	99353	81022
25. त्रिपुरा	13	14	185	108	1990	1797	10598	8601	12786	10520
26. उत्तर प्रदेश	139	119	1189	1036	21920	8934	308578	141823	331826	151912
27. उत्तराखंड	14	12	48	109	1403	1310	15609	12858	17074	14289
28. प. बंगाल	133	93	590	471	24991	17617	62726	47313	88440	65494
कुल राज्य	1390	1284	11985	9720	231359	168713	1372684	1039573	1617418	1219290
संघ राज्य										
29. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4	4	19	24	581	403	3124	2953	3728	3384
30. चंडीगढ़	2	2	17	17	626	581	5148	4792	5793	5392
31. दादर एवं नगर हवेली	0	0	3	3	29	12	320	273	352	288
32. दमन एवं दीव	1	1	4	4	60	40	357	211	422	256
33. दिल्ली	50	40	369	282	13138	11558	57993	56144	71550	68024
34. लक्ष्यदीप	0	0	2	4	93	38	511	360	606	402
35. पुंडिचेरी	2	3	22	23	378	321	2019	1561	2421	1908
कुल (संघ राज्य)	59	50	436	357	14905	12953	69472	66294	84872	79654
कुल (अखिल भारतीय)	1449	1334	12421	10077	246264	181666	1442156	1105867	1702290	1298944

स्रोत—"भारत में अपराध—2012" राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली।

लगाने के आदेश दिए गए थे तथा यह भी कहा गया था कि स्वीकृत संख्या से अधिक पुलिसकर्मी वी.आई.पी. सुरक्षा में नहीं लगाए जाएं, परंतु वर्तमान में इन आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। देश में 16,788 वी.आई.पी. की सुरक्षा के लिए 28,298 जवान स्वीकृत हैं परंतु सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या 50,049 है जो स्वीकृत संख्या से लगभग 80-85 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान में यह निश्चित रूप से सोचनीय प्रश्न है कि जब भारत में स्वीकृत पदों की तुलना में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत कम है तो ऐसी परिस्थितियों में वी.आई.पी. के ऊपर इतनी अधिक सुरक्षा लगाना किस सीमा तक उचित है।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि देश के अधिकतर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध पुलिसकर्मियों की संख्या काफी कम है। यह संख्या का अंतर पुलिस संगठन के किसी एक स्तर तक ही सीमित नहीं है अपितु अधिकतर स्तरों पर यह अंतर और भी अधिक परिलक्षित होता है। कांस्टेबल एवं हेडकांस्टेबल स्तर पर स्वीकृत पदों एवं उपलब्ध पुलिसकर्मियों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत का अंतर है। यही स्थिति इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर स्तर पर भी है। आई.जी./डी.आई.जी. स्तर के अधिकारियों के स्तर पर यह अंतर निश्चित रूप से कम है। स्वीकृत पदों पर 92 प्रतिशत पुलिसकर्मी तैनात हैं तथा ए.एस.पी. एवं डिप्टी एस.पी. स्तर के अधिकारियों के स्तर पर यह उपलब्धता 81 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में निश्चित रूप से यह संख्या अनुमोदित संख्या से कहीं अधिक है। उदाहरणस्वरूप मध्य प्रदेश में आई.जी. एवं डी.आई.जी. स्तर पर स्वीकृत पदों की संख्या 75 है परंतु इसके विरुद्ध उपलब्ध पुलिसकर्मियों की संख्या 147 है जो निश्चित रूप से कहीं अधिक है परंतु यह स्थिति केवल कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ही है जबकि अधिकतर राज्यों में स्थिति इसके विपरीत है। इंस्पैक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हैड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मियों के स्तर पर पुलिसकर्मियों की संख्या अनुमोदित लगभग एक चौथाई तक है जो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है।

यद्यपि इस अंतर के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं परंतु इसका परिणाम यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि देश में पुलिस और जनता के मध्य का अनुपात बेहद खराब है। कुछ राज्यों में तैनाती का प्रतिशत राष्ट्रीय दर से काफी कम है। तैनाती का यह प्रतिशत बढ़ते अपराधों के पीछे एक बड़ा कारण है। पुलिस का प्रमुख कार्य राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों की रोकथाम करना होता है। परंतु पिछले वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि यह अपराध दर पिछले कुछ दशकों में अधिकतर वर्षों में निरंतर बढ़ता ही जा रहा है जिसका एक प्रमुख कारण पुलिसकर्मियों का उपलब्ध स्वीकृत पदों से काफी पीछे होना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक लाख की आबादी पर 84 पुलिसकर्मियों की तैनाती है जबकि इसके विपरीत राष्ट्रीय तैनाती की दर इसके दोगुने से भी अधिक है। दूसरी तरफ फोर्स की कमी होने के बावजूद भी वी.आई.पी. पर कम-से-कम तीन सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। (1) 761 आम आदमी : 1 सुरक्षाकर्मी (2) एक माननीय : 3 जवान तैनात है।[5]

इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी 84 वी.वी.आई.पी. लोगों की सुरक्षा में कुल 812 पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है यह बात एक आर.टी.आई. कर्ता के आवेदन के माध्यम से प्राप्त हुई।[6] यह स्थिति लगभग अधिकतर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में देखी जा सकती है।

वास्तव में वी.आई.पी. सुरक्षा प्रदान करना प्रत्येक व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। यह प्रक्रिया अपनी जगह ठीक है परंतु समस्या तब पैदा होती है, जब इसका क्रियान्वयन सही प्रकार से न हो। वास्तव में कुछ सीमा तक सुरक्षा के मामले पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। वी.आई.पी. सुरक्षा देने का फैसला खतरे के आकलन के

बाद ही किया जाता है परंतु वर्तमान में खतरे के आकलन पर भी राजनीतिक प्रभाव पड़ने लगा है तथा वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है परिणामस्वरूप कई ऐसे लोगों को सुरक्षा दे दी जाती है जिन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे लोगों को भी सुरक्षा मिल जाती है जिन्होंने चुनाव तो लड़े परंतु विधायक नहीं बने तथा इसके अतिरिक्त भी गृह विभाग और जिलों के डी.एम. के यहां सुरक्षा की मांग को लेकर बेशुमार आवेदन-पत्र लंबित हैं। दबंग राजनेता खाकी वर्दी को स्टेटस सिंबल मानकर इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। [7]

सुझाव

पुलिस विभाग के कार्यों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच निष्पक्ष रूप से की जाने की आवश्यकता है। आवेदन पत्र के मूल्यांकन के आधार पर तथा खुफिया एजेंसियों की जांच के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि जरूरतमंद व्यक्ति को ही वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त हो सके। यद्यपि इस दिशा में शुरुआत हो चुकी है तथा इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है और इस मामले पर सुनवाई चल रही है। निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा इस दिशा में सार्थक हल अवश्य निकलेगा।[8]

पुलिस प्रशासनिक मशीनरी का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम करना है परंतु पुलिस बल की संख्या की कमी के कारण अपराधी इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इसी का परिणाम है कि जिन क्षेत्रों में पुलिस बल अपर्याप्त है वहां पर अधिकतर अपराध अधिक घटित होते हैं। वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त करने के दावेदारों को इस बात को भी दृष्टिगत रखना होगा कि उनके द्वारा केवल आवश्यक सुरक्षाकर्मियों की प्राप्ति पर समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने में अपना अप्रत्यक्ष सहयोग दिया जा सकता है। समाज में इस प्रकार की चेतना निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगी। वी.आई.पी. सुरक्षा को स्टेटस सिंबल से जोड़ने की अपेक्षा आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती आम व्यक्ति की असुरक्षा को बढ़ावा देती है।

नियमतः यह स्पष्ट है कि सुरक्षा का शुल्क वसूल किया जाएगा परंतु साथ-ही-साथ राजनीतिज्ञों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे उसे माफ कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि यह शुल्क माफ कर दिया जाता है। समाज में यह बात भी बार-बार उठती रही है कि टैक्स पेयर के

तालिका-2 आई.पी.सी. अपराधों के प्रति महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का अनुपात

क्र.सं.	वर्ष	कुल भा.दं.स. अपराध	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (भा.दं.स. मामले)	भा.दं.स. अपराध में कुल प्रतिशत
1	2006	1878293	154158	8.2
2.	2007	1989673	174921	8.8
3.	2008	2093379	186617	8.9
4.	2009	2121345	203804	9.2
5.	2010	2224831	213585	9.6

स्रोत—'भारत में अपराध–2012' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली।

धन से वी.आई.पी. सुरक्षा क्यों दी जा रही है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षा पर आने वाले खर्च का वहन वी.आई.पी. द्वारा किया जाना चाहिए परंतु साथ-साथ ही निश्चित वी.आई.पी. को इसमें छूट भी अवश्य दी जानी चाहिए जो इसके वास्तव में हकदार हैं। वी.आई.पी. सुरक्षा पर आवश्यकतानुसार तैनाती के पश्चात् शेष बचे पुलिसकर्मियों को बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा हेतु तैनात किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे एवं महिलाएं अपराधियों के शिकार सरलता से होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में तीव्र वृद्धि हो रही है जिसको निम्न तालिका के माध्यम से भली-भांति समझा जा सकता है।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध निरंतर बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों का जो प्रतिशत है उसमें भी वृद्धि हुई है। अतिरिक्त पुलिस की तैनाती महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में कुछ सीमा तक सार्थक रूप से प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

राज्य का प्रारंभ से अब तक यही प्रथम उद्देश्य रहा है कि वह सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए राज्य के ऊपर निर्भर रहता है। सभी राज्य अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से व्यक्तियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करते रहे हैं तथा बहुत कुछ सीमा तक अपने प्रयासों में सफल भी रहे हैं।

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि जो व्यक्ति वी.आई.पी. नहीं हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था में उतनी महत्ता नहीं मिलती जितनी कि वी.आई.पी. को। राजनीतिक स्तर पर इसकी आवश्यकता है कि वी.आई.पी. को निश्चित रूप से उनके खतरे के अनुपात में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए अर्थात् उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिए परंतु साथ-ही-साथ अन्य व्यक्तियों को यह अहसास कराया जाए कि राज्य उनकी सुरक्षा के लिए भी उतना ही प्रयासरत है। सामान्य व्यक्ति के रोष को तब अधिक महसूस किया जा सकता है जब वह अपने आस-पास उन व्यक्तियों का वी.आई.पी. सुरक्षा प्राप्त पाता है जिनको कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है और वह 1 लाख की भीड़ में मात्र कुछ पुलिसकर्मियों के भरोसे अपनी सुरक्षा मानता है। सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं जिससे पुलिस और जनता के अनुपात में सुधार किया जा सके। यद्यपि कुछ राज्यों में इस दिशा में सकारात्मक प्रयास आरंभ हो चुके हैं तथा शेष राज्यों में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

वी.आई.पी. सुरक्षा के लिए एक दूसरा विकल्प निजी सुरक्षा एजेंसियां भी हो सकती हैं। फिल्म स्टारों, क्रिकेटरों, व्यवसाइयों को निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में निजी सुरक्षा एजेंसियां भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। यदि इन पुलिसकर्मियों की अन्य स्थानों पर तैनाती की जाएगी तो निश्चित रूप से अपराध को रोकने में कुछ सीमा तक सहायक होगी।

समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह आश्वासन आना आवश्यक है कि उसकी सुरक्षा भी अन्य व्यक्ति के समान है। इसलिए उसको भी अन्य के समान ही महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। वी.आई.पी. सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस सुरक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो। विगत वर्षों के अनुभव दर्शाते हैं कि इसके क्रियांवयन में कुछ कारणों से विसंगतियां समाहित होती जा रही हैं, इसलिए इन विसंगतियों को दूर करने के लिए नितांत आवश्यक है कि राजनीतिक स्तर पर सारगर्भित प्रयास किए जाएं तथा साथ-साथ समाज में यह भी जागरूकता लाने जाने की आवश्यकता है कि वी.आई.पी. सुरक्षा

को स्टेटस सिंबल न बनाया जाए बल्कि इसको आवश्यकता से जोड़ने की आवश्यकता है जिससे जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर आवश्यक वी.आई.पी. सुरक्षा मिल सके। जरूरतमंद लोगों को वी.आई.पी. सुरक्षा मिलने से आम व्यक्ति में राज्य के प्रति विश्वास पैदा होगा। यही विश्वास राज्य को सुदृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करता है तथा राज्य की सत्ता को भी स्वीकृति प्रदान करता है और विशेषतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है।

उपरोक्त प्रयास आम व्यक्ति की एवं वी.आई.पी. की सुरक्षा के बीच के अंतर को दूर करने में निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगे और विशेषतः आम व्यक्ति के मन में यह भावना विकसित करने में सहायक होंगे कि आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी राज्य निरंतर प्रयत्नशील हैं।

संदर्भ :

1. हिंदुस्तान 31 अक्टूबर, 2013 पृष्ठ संख्या 15

2. www.hindustantimes June 07, 2007, Accessed on 18.5.2014

3. Times of India - Indiatimes.com, NSG, Pullout 900 commandos from VIP security for counter terror operation training 18.5.14

4. Times of India 3 cops to protect each VIP, Just 1 cop For 75[1] Citizen's. 21 august april 2012

5. Times of India '3 cops to protect each VIP, Just 1 cop For 75' Citizens. 21 august april 2012

6. जनसत्ता 'वी.आई.पी. सुरक्षा जरूरत बढ़ी दुरुपयोग बढ़ा' जनसत्ता 13 मई, 2014 पृष्ठ संख्या 7

7. हिंदुस्तान 'खतरे के आकलन पर भी राजनीतिक दबाव हावी' 31 अक्टूबर, 2013 पृष्ठ संख्या 15।

8. हिंदुस्तान 31अक्टूबर, 2013 पृष्ठ संख्या 15

थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव

हाकिम राय
पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.)
9-डी, एच.आई.जी., अवंतिका कालोनी,
कांठ रोड, एम.डी.ए. मुरादाबाद (उ.प्र.)

यह लेख इस उद्‌देश्य से लिखा गया है जिससे पुलिस विभाग अपने कार्य में की जानेवाली त्रुटियों को समझ सके व उसे सुधार सके। प्रजातांत्रिक प्रणाली की सरकारें हमारे देश में कार्यरत हैं और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य की सरकार पर होता है। प्रत्येक राज्य की सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य पुलिस विभाग के द्वारा सुनिश्चित कराती है। पुलिस विभाग राज्य की आंतरिक सुरक्षा व कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस विभाग के अच्छे व बुरे कार्यों का राज्य की सरकार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में आम आदमी का पुलिस पर विश्वास नहीं है और वह पुलिस के पास कोई सूचना देने के लिए जाने में डरता है, क्योंकि पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की आम ख्याति सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में सही नहीं है।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस विभाग में अच्छे अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं परंतु यह बात भी सत्य है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी सही कार्य करते हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से पूरे विभाग की आम ख्याति समाज के लोगों में खराब बनी हुई है। मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि पुलिस विभाग समाज के लिए नितांत आवश्यक है और पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी यदि लगन व निष्ठा से कार्य करें तो लोग इनको अपने सर पर बिठाकर सम्मान दे सकते हैं। वर्तमान समय में पुलिस विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी का विश्वास प्राप्त करना है और जब यह विश्वास प्राप्त हो जायेगा तो पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचनाएं व जनसहयोग प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पुलिस को अपने आचरण में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है।

थाने की कार्यप्रणाली

पुलिस विभाग में थाना एक ऐसी इकाई है जहां से पुलिस विभाग के कार्यों का प्रारंभ होता है और अपराध के पंजीकरण के बाद अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अपराध होने के बाद आम आदमी सबसे पहले पुलिस थाने की पुलिस के संपर्क में आता है जहां पर उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है व अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाती है। प्रक्रिया संहिता व पुलिस रेगुलेशन के अनुसार थाने पर निम्नलिखित कार्य सामान्य रूप से किए जाते हैं—

क—अपराध की रोकथाम के कार्य—थाना पुलिस का पहला कार्य अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम करना है। यदि थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र में परंपरागत व वैधानिक उपायों को अपनाकर अपराध की घटनाओं को नियंत्रित कर लेता है तो वह सफल माना जाता है, क्योंकि अपराध की रोकथाम का सीधा प्रभाव अपराध की विवेचना के कार्य पर पड़ता है। अपराध की रोकथाम से विवेचना का कार्य अपने आप कम हो जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 में प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए यह लिखा गया है कि वह संज्ञेय अपराध के निवारण के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करेगा। थाना पुलिस के अपराध की रोकथाम के उपाय निम्न प्रकार के हैं जिनके अपनाने से अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकता है व कानून-

व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाई जा सकती है:—

अपराध की रोकथाम के परंपरागत उपाय

1. थाने से प्रत्येक बीट में गश्त भेजना जिससे अपराध के अवसर कम किए जा सकें।

2. संवेदनशील चौराहों पर पिकेट लगाना जिससे संवेदनशील घटनाओं को होने से रोका जा सके।

3. हिस्ट्रीशीटरों व सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रखना जिससे वह अपराध न कर सकें।

4. बीट से आरक्षियों के द्वारा अपराध व अपराधियों के बारे में सूचना एकत्र करके थाने पर देना जिनकी जांच संबंधित उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा करके आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना।

5. थाने के अपराध संबंधी अभिलेखों का अध्यावधिक रखना जिससे उनमें अंकित सूचनाओं का उपयोग उन अपराधियों के विरुद्ध की जानेवाली वैधानिक कार्रवाई में किया जा सके।

6. त्योहारों पर, मेलों में, चुनाव के समय समुचित पुलिस प्रबंध करना जिससे कोई उपद्रव न होने पाए।

अपराध की रोकथाम के वैधानिक उपाय

1. शांति भंग की संभावना पर संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता की एक पक्षीय या द्विपक्षीय कार्रवाई करना व शांति बनाए रखने हेतु उनके निजी बंधपत्र व प्रतिभूति लिवाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निवेदन करना।

2. अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई करना व सदाचरण बनाए रखने हेतु उनके निजी बंधपत्र व प्रतिभूति लिवाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निवेदन करना।

3. तत्काल उत्पात या खतरे की आशंका पर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रिपोर्ट देकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा जारी करवाकर किसी सभा को होने से या किसी जुलूस को निकालने से रोकना या कर्फ्यू लगवाना।

4. अचल संपत्ति के कब्जे के विवाद के कारण यदि दो पक्षों में लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो तो धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करना जिससे वास्तविक कब्जेदार को तय कराया जा सके।

5. उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले अपराधियों को जनपद से निष्कासित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देकर कार्रवाई कराना।

6. संगठित गिरोहों के विरुद्ध उ.प्र. गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करना।

7. लोक व्यवस्था भंग करनेवाले अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्रवाई करके उन्हें जिलाधिकारी/ पुलिस कमिश्नर से निरुद्ध कराना।

ख—अपराध की विवेचना का कार्य

1. अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट को लिखना।

2. वादी व गवाहों के बयान लेना।

3. घटनास्थल का निरीक्षण करके भौतिक साक्ष्य कब्जे में लेना।

4. अभियुक्तों की तलाश करना व उन्हें गिरफ्तार करना।

5. अभियुक्त का बयान लेना व उसकी निशानदेही पर अपराध से संबंधित तथ्यों की खोज करना।

6. चोरी गई/लूटी गई संपत्ति की तलाश करना व बरामद करना।

7. नाम-पता अज्ञात अभियुक्तों व बिना नंबर की संपत्ति की कार्रवाई में शिनाख्त कराना।

8. अपराध की घटना में घायल व्यक्तियों का डाक्टरी परीक्षण कराना व मृत व्यक्तियों का मृत्योपरांत शव परीक्षण कराना।

9. घटनास्थल व अभियुक्त से कब्जे में लिए गए पदार्थों का विधिविज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाकर विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त करना।

10. विवेचना के अंत में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचना का निष्कर्ष निकालना व आरोपपत्र या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करना।

ग—अभियोगों के संबंध में न्यायालय में अभियोजन का कार्य—पुलिस का अंतिम कार्य उन अभियोगों की न्यायालय में पैरवी करना है जिनमें आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। पैरवी से तात्पर्य गवाहों को न्यायालय में निश्चित तिथि की सूचना देना, उनको अभियुक्तों के प्रभाव से दूर रखना व उनको न्यायालय से खर्चा दिलवाना है। यदि कोई अभियुक्त किसी गवाह को परेशान करे या धमकाए तो उसको सुरक्षा प्रदान करना व अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने या उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है।

यदि थाने की उक्त कार्यप्रणाली पर दृष्टि डालें व वास्तविकता में की जा रही कार्रवाई को देखें तो निम्नलिखित त्रुटियां वर्तमान समय में पुलिस में पाई जा रही हैं जिससे आम आदमी का विश्वास पुलिस से लगभग समाप्त हो गया है। पुलिस को दिन व रात काम करने के बाद भी वह सम्मान समाज से प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी वह पात्र है और उसका कारण पुलिस की कानून से हटकर कार्य करने की प्रणाली है। यदि थाना पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सुधार कर ले तो वह जनप्रिय बन सकती है, क्योंकि पुलिस समाज को सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रजातांत्रिक प्रणाली के शासन में जनता के साथ यदि अंग्रेजों के जमाने का व्यवहार किया जाएगा तो जनता का पुलिस के पास आने के बजाय उससे दूर जाना स्वाभाविक है।

थाना पुलिस द्वारा की जाने वाली त्रुटियां

1. पीड़ित व्यक्ति की अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखना या काफी परेशान करने के बाद लिखना।

2. विवेचना में सही अभियुक्तों का पता न चलने पर गलत लोगों को बंद करना।

3. विवेचना में विलंब करना व अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में लापरवाही बरतना।

4. वादी व गवाहों के साथ दुर्व्यवहार करना। उनको अपने विश्वास में न लेना।

5. अभियुक्तों से पूछताछ में बल प्रयोग करके उनकी अभिरक्षा में मृत्यु कारित करना।

6. विवेचना में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग न करना।

7. विवेचना की कोई कार्य योजना न बनाना व मनमाने ढंग से कार्य करना।

8. कार्य के प्रति लगाव का अभाव होना।

9. अपराध की रोकथाम में सही अपराधियों की तलाश करके कार्रवाई करने के बजाय फर्जी मुकदमे उन लोगों के खिलाफ कायम करना जो अपराध नहीं कर रहे होते हैं। थाना क्षेत्र में सही अपराधियों की तलाश की जाए तो प्रत्येक थाना क्षेत्र में हर प्रकार का अपरधी मिल जाएगा व उसके जेल जाने का अपराध की स्थिति पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा व अपराध नियंत्रित हो सकता है। अपराध को कागज पर नियंत्रित करने के बजाय जमीनी सतह पर नियंत्रित करने का कार्य किया जाना चाहिए।

10. थाने पर आरक्षियों का बीट सिस्टम कार्य नहीं कर रहा है जिससे एक बहुत बड़ी पुलिस बल की संख्या का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं हो पा रहा है व उसका योगदान भी नहीं मिल पा रहा है। यदि पुलिसकर्मी गश्त पर जा भी रहे है तो उनको जाते समय कोई निर्देश कोई बीट सूचना लाने के संबंध में दिया जाता है और न ही उनके लौटने पर उनसे कोई यह पूछता है कि वह क्या करके आए हैं। इस प्रकार लगभग आधे से अधिक पुलिस बल नौकरी में आने के बाद बिना कोई योगदान

दिए वेतन पा रहा है और कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है और यह भी कहा जाता है कि फोर्स कम है।

11. थाना प्रभारी एक मैनेजर की तरह काम नहीं कर रहा है और वह अपने अधीनस्थों पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। इसका कारण उसका बहुत कम अवधि के लिए थाने पर नियुक्त रहना है। थाना प्रभारी जब तक अपने क्षेत्र के अपराध व अपराधियों के बारे में कुछ समझ पाता है तभी उसका तबादला हो जाता है। यदि किसी थाना प्रभारी को यह बात मालूम है कि वह थाने पर केवल कुछ माह ही नियुक्त रहेगा तो वह कुछ करके नहीं देगा और न ही किसी अधीनस्थ पर काम करने का दबाव बनाने की स्थिति में रहेगा। थाना प्रभारी पुलिस विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर योग्य अधिकारी को ही नियुक्त किया जाए व उसे काम करने हेतु निश्‍चित कार्यकाल दिया जाए अन्यथा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

12. थानों के आपराधिक अभिलेख सही प्रकार से नहीं रखे जा रहे हैं और उनमें अपराधियों के संबंध में सूचनाएं अध्यावधिक नहीं हैं जिसके कारण किसी अपराधी का पूर्ण आपराधिक इतिहास उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं हो पाता है व उसके विरुद्ध अभिलेखों के आधार पर कई अधिनियमों के अंतर्गत की जानेवाली कार्रवाई नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में अपराधियों को नियंत्रित करने का सही मार्ग यह है कि अपराधी के विरुद्ध उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम, गिरोहबंद अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की जाए जिससे कोई शिकायत भी नहीं होगी और यदि होगी भी तो जनपद पुलिस उसका सही जवाब देने की स्थिति में रहेगी। फर्जी कार्रवाई की जांच के बाद पुलिस दंड की भागी बन रही है परंतु अपनी पुरानी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं ला पा रही है। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना अति आवश्यक हो गया है अन्यथा वर्तमान स्थिति में किसी परिवर्तन की कोई आशा करना व्यर्थ है।

13. न्यायालय में अभियोगों की पैरवी में मात्र एक आरक्षी लगाकर इस कार्य की पूर्ति करके एक महत्वपूर्ण कार्य का मजाक बनाया जा रहा है। जिस अपराध को वर्कआउट करने में जनपद के सभी अधिकारी व पुलिस बल लग रहा हो उस अपराध के विचारण के समय कोई पुलिस अधिकारी वहां न जाए और केवल एक आरक्षी के जिम्मे यह कार्य छोड़ देना एक बहुत बड़ी त्रुटि है। पैरवी में नियुक्त आरक्षी केवल अभियोगों में नियत की गई आगामी तिथि की सूचना तो ला सकता है परंतु वह गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने या उनमें से किसे पेश करना है व किसे पक्षद्रोही घोषित करना है, का निर्णय नहीं ले सकता है। किसी पुलिस अधिकारी के पैरवी में न्यायालय न जाने पर न्यायालय में नियुक्त अभियोजन अधिकारी भी उतनी रुचि नहीं ले पाते हैं जितनी किसी पुलिस अधिकारी के वहां उपस्थित रहने पर उनके द्वारा ली जाती है। इसी कारण अधिकांश अभियोग या तो न्यायालय से छूट रहे हैं या काफी समय तक लंबित रहते हैं व अपराधी बिना दंड पाए अपराध की पुनरावृत्ति में लगा रहता है। पुलिस अपराधी के विरुद्ध अंतिम युद्ध में हार रही है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी या बरामदगी माल पर पुरस्कृत कर दिया जाता है।

14. थाना पुलिस सही कार्य करने के मार्ग से हट कर मनमाने ढंग से कार्य करके कमजोर केस न्यायालय में प्रेषित कर रही है। उसके गलत कार्य क्षेत्राधिकारी के स्तर पर भी चेक नहीं हो पा रहे हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि वह केस न्यायालय से कमियों के कारण छूट रहे हैं। विवेचकों द्वारा अभियुक्तों की कार्रवाई शिनाख्त थाने पर खुद ही कराकर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है जबकि अभियुक्त की शिनाख्त जेल में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष होने के प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त अफीम या हेरोइन बरामद होने के बाद उसे परीक्षण हेतु विलंब से विधिविज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है व बिना परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुए ही आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा

रहा है जबकि ऐसे आरोप-पत्र न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है।

15. विवेचन द्वारा गवाहों के बयान बिना उनसे पूछे लिखे जा रहे हैं जिससे बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी नहीं हो पाती है और वह गवाह न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता के पूछने पर बयान देते हैं कि उनके बयान किसी ने नहीं लिए हैं और न्यायालय में विवेचना फर्जी साबित हो रही है।

थाने की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव

थानों के कार्य में यदि निम्नलिखित सुधार कर लिए जाएं तो पुलिस की सामान्य ख्याति आम आदमी की दृष्टि में अच्छी बन सकती है और यह समय की आवश्यकता भी है।

थाना प्रभारी के लिए सुझाव

1. थाना प्रभारी अपने थाने की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु अपना मन बनाए अन्यथा केवल निर्देश देने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाए व उन्हें सही और अच्छा कार्य करनेवाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देने हेतु कुछ अधिकार भी दिए जाएं, क्योंकि अभी तक पुरस्कार का अधिकार जनपद के पुलिस अधीक्षक के पास है और कार्य लेनेवाले के पास कोई अधिकार नहीं है जिससे उसकी पकड़ अपने अधीनस्थों पर नहीं बन पाती है। पुरस्कार से अन्य कर्मचारी भी उत्साहित होंगे।

2. थाना प्रभारी को प्रतिदिन (यदि वह उपस्थित है) सुबह लगभग 9 बजे वर्दी पहनकर अपने कार्यालय में बैठ जाना आवश्यक बनाया जाए जिससे वह एक मैनेजर की तरह काम कर सके और अपने अधीनस्थों के कार्य का आकलन करके उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दे सके।

3. सबसे पहले उसे थाने के प्रधान लेखक की कैशबुक व प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्टर को देखना चाहिए जिससे उसे यह ज्ञात हो सके कि पिछले दिवस में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गईं व कितना धन अवितरित थाने पर पड़ा है और उचित निर्देश निर्गत करने चाहिए। थाने की हवालात व मालखाना का निरीक्षण करना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हवालात साफ व सुरक्षित है। यह भी देखा जाए कि हवालात के अंदर पान की पीक, बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े न हों अन्यथा किसी दिन कोई बंदी थाने के हवालात में कोई अप्रत्याशित घटना करके थाना पुलिस के लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि बंदियों ने थाने की हवालात में आत्महत्या करने, ब्लेड से नस काटने व पायजामे में आग लगाने व जहर खाने का कार्य किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पकड़ कर थाने लाए गए व्यक्ति की हवालात में दाखिल होने से पहले ठीक प्रकार से तलाशी नहीं ली जा रही है।

4. थाना प्रभारी को प्रतिदिन अपने थाने की सभी चौकियों के मुख्य आरक्षी से बीती रात में भेजे गए गश्त व घटित हुए अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करके यह अनुमान लगाना चाहिए कि किस चौकी में अपराध की रोकथाम का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और तदनुसार आवश्यक निर्देश आगे के कार्य के बारे में देने चाहिए।

5. थाना प्रभारी को प्रतिदिन थाने पर नियुक्त सभी उपस्थित विवेचक पुलिस उपनिरीक्षकों से उनकी विवेचना की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देना आवश्यक है अन्यथा वह मनमाने ढंग से विवेचना कार्य करेंगे जिसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता व थाने की आपराधिक स्थिति पर पड़ेगा।

6. उसको प्रतिदिन थाने पर आए लोगों की समस्याओं को सुनने का कार्य करना चाहिए जिससे उनकी समस्या का हल निकल सके, अन्यथा थाने से भटका व्यक्ति ही उच्चाधिकारियों के पास या किसी

दबंग व्यक्ति के पास अपनी समस्या के निराकरण के लिए जा सकता है जिससे थाने की स्थिति कमजोर हो जाती है।

7. उसके पश्चात थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र का भ्रमण प्रतिदिन करना चाहिए और अपने भ्रमण में बाजार, बैंक, सिनेमाघर, शराब की दुकानों, स्कूल/कालेज, रोडवेज बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के बाहर का क्षेत्र अवश्य सम्मिलित किया जाए, क्योंकि यह स्थान अपराध की दृष्टि से संवेदनशील माने गए हैं।

8. थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में लगे पिकेट चेक करने चाहिए, क्योंकि पिकेट संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाते हैं और उनका गायब होना या लापरवाह होना किसी घटना का कारण बन सकता है। पिकेट के पुलिसकर्मियों की उपस्थिति अपराध की घटनाओं को कम करती है।

9. थाना प्रभारी को दिन व रात्रि में गश्त भेजते समय आरक्षियों की ब्रीफिंग के बिंदु लिखकर थाने के कार्यालय में रखवाने चाहिए और उनकी रवानगी के समय वह बिंदु उनको बताए जाएं तथा उनकी रवानगी में लिखे जाएं और वापसी के समय उनसे पूछा जाए कि वह क्या करके आए हैं। यह कार्य दिवसाधिकारी व रात्रि अधिकारी की ड्यूटी पर नियुक्त उपनिरीक्षक पुलिस को लिखकर दिया जा सकता है।

10. थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में भेजे गए गश्त के पुलिसकर्मियों को समय बदल-बदलकर चेक करना चाहिए जिससे उनकी लापरवाही को चेक किया जा सके अन्यथा गश्त प्रभावी नहीं रह जाएगी व अपराध गश्त के जाने के बाद उसी क्षेत्र में होता रहेगा।

11. थाना प्रभारी को गंभीर अपराधों की विवेचना स्वयं करनी चाहिए अन्यथा अपने उपनिरीक्षक विवेचकों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी को अपने आचरण व कार्य का उदाहरण अपने अधीनस्थों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

थाना कार्यालय में नियुक्त प्रधान लेखक व सहायक आरक्षी लेखक के कार्य की स्थिति—थाना कार्यालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने का कार्य प्रमुख कार्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त थाना कार्यालय में नियुक्त प्रधान लेखक थाने के मालखाना में मौजूद सरकारी शस्त्रों व माल मुकदमाती की सुरक्षा व हवालात में बंद अभियुक्तों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भी थाना प्रभारी के साथ सम्मिलित रूप से उत्तरदायी है। थाने के अपराध संबंधी अभिलेखों का ठीक प्रकार से रखरखाव करना भी उसी का कार्य है। यदि वास्तविकता की ओर देखें तो यह पाया जा रहा है कि अपराधियों के दंडित होने व उनकी न्यायालय से जमानत हो जाने की सूचनाएं थाने पर अध्यावधिक नहीं रखी जा रही हैं जिससे अपराधियों के आपराधिक इतिहास का प्रयोग उनके विरुद्ध नहीं हो पा रहा है। त्योहारों के नोट व असमाजिक तत्वों का पूर्ण रिकार्ड थाने पर आवश्यकता पड़ने पर नहीं मिल पा रहा है जिससे गुंडों, अभ्यस्त अपराधियों व गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

प्रधान लेखक के कार्यों के सुधार के लिए सुझाव

1. किसी पुराने उपनिरीक्षक पुलिस को कार्यालय के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किया जाए जो भागदौड़ का कार्य करने में सक्षम न हो। यह उपनिरीक्षक थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों से बातचीत करके उनकी रिपोर्ट लिखवाने का कार्य सुनिश्चित करायेगा व दिन-प्रतिदिन की आपराधिक अभिलेखों की प्रविष्टियों को करवाने का कार्य भी कार्यालय स्टाफ से लेगा व थाना प्रभारी को सूचित करता रहेगा। इससे अभिलेख अध्यावधिक रहेंगे।

2. थाना प्रभारी भी थाने का मासिक निरीक्षण करे और दो या तीन महत्वपूर्ण रजिस्टरों को चेक करे तो उसको अभिलेखों के रखरखाव की सही स्थिति का पता चल जायेगा।

3. नादावा माल के मालिक की तलाश हेतु

न्यायालय से नोटिस जारी करवाए जाएं और यदि 6 माह तक कोई वारिस नहीं मिलता है तो उस माल को नीलाम करवा कर धन खजाने में जमा करवा दिया जाए।

4. माल जामा तलाशी जिसका संबंध किसी अपराध से नहीं है उसे कोर्ट के आदेश से वापस किया जाए जिससे थाने पर बिना कारण माल न पड़ा रहे।

5. थाने पर कई वाहन खड़े मिल जाएंगे और वह वर्षों तक खड़े रहते हैं। यदि थाना प्रभारी अपने स्तर पर उनके सही इंजिन नंबर व चैसिस नंबर को नोट करके उस वाहन के रजिस्ट्रेशन वाले जनपद के आर.टी.ओ. से पत्राचार करे तो वाहन स्वामी का पता चल सकता है और उस वाहन का निस्तारण हो सकता है।

आरक्षियों के कार्य की वर्तमान स्थिति

1. वर्तमान समय में बीट कागज पर बटी हैं परंतु बीट में नियुक्त आरक्षी निरंतर बीट में नहीं जा रहे हैं और यदि जा भी रहे हैं तो अन्य आरक्षियों को बदल-बदल कर भेजकर काम किया जा रहा है जिसके कारण बीट की जो जानकारी बीट आरक्षी को होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है और न ही थाना प्रभारी को उसका लाभ मिल पा रहा है।

2. बीट सूचना का कार्य लगभग शून्य है और पुलिस सूचनाओं के अभाव में निरोधात्मक कार्रवाई नहीं कर पा रही है तथा पुलिस अपराध होने के बाद की कार्रवाई हेतु बनकर रह गई है। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस का अपराध निवारण का पहला कार्य लगभग न के बराबर है तो जनता उससे कैसे प्रसन्न रहेगी?

3. आरक्षी एक ऐसा पुलिसकर्मी माना गया है जिसका संपर्क समाज के हर वर्ग के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वह सबसे पहले बीट में उनके संपर्क में आता है परंतु अब आरक्षी का संपर्क समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ नहीं रह गया है। आरक्षी पहले की तरह से अपनी बीट में गश्त भी नहीं कर रहे हैं जिससे अपराधी उनके बीट में गश्त के दौरान अपराध कर रहा है जबकि अपराध के अवसर को समाप्त करने के लिए आरक्षी को अपनी बीट में गश्त करने के लिए भेजा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी आरक्षियों के गश्त करने की त्रुटियों का लाभ उठा रहे हैं।

4. आरक्षी थाना की संतरी ड्यूटी भी ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा थाने पर पकड़कर लाए गए अपराधियों की हवालात में बंद करने से पहले तलाशी लेने का कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त हवालात में आत्महत्या कर लेते हैं और उनके पास बीड़ी-माचिस मौजूद रहती है।

आरक्षियों के कार्य के लिए सुझाव

वर्तमान समय में तीन चौथाई बल पुलिस में आरक्षियों का है जिनका उपयोग अपेक्षित रूप से नहीं हो पा रहा है। आरक्षी का मुख्य कार्य अपनी बीट में अपराध को होने से रोकने का है। उसके लिए उसे इस बल में नियुक्त किया गया है। अपराध की रोकथाम के लिए वह अपनी बीट में दिन व रात में गश्त में जाने के लिए थाने/चौकी पर नियुक्त किया जाता है। उसको अपनी बीट में निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह कार्य उसी के लिए नियत हैं।

आरक्षी से लिये जाने वाले कार्य

1. गश्त के दौरान अपराध व अपराधियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करना व वापसी पर जी.डी. में लिखाना।

2. गश्त के दौरान सम्मन की तामील करना।

3. गश्त के दौरान वांछित अपराधियों का पता लगाना व गिरफ्तार करना।

4. गश्त के दौरान अपराध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना।

5. गश्त के दौरान गुंडागर्दी को रोकना व अश्लील हरकतें करनेवालों को भा.द.स. 294 में गिरफ्तार करना।

6. गश्त के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखना।

7. आरक्षियों से उक्त कार्य लेने के लिए प्रत्येक आरक्षी को गश्त में जाते समय मुख्य आरक्षी चौकी या थाना उन्हें उक्त कार्य करने के लिए ब्रीफ करे व लौट कर आने पर उनसे यह पूछा जाए कि उनके द्वारा अपनी बीट में गश्त के दौरान क्या-क्या किया गया। यदि यह प्रक्रिया अपनायी जाए तो आरक्षी धीरे-धीरे सही कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

अभियोजन के कार्य के लिए सुझाव— अभियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक आरक्षी को नियुक्त करना पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में अभियोग न्यायालयों में काफी विलंब से विचारण के लिए लग रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप गवाह या तो अभियुक्तों द्वारा डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लियें जाते हैं या उनका मन गवाही देने से इसलिये हट जाता है कि अभियुक्तों से दुश्मनी हो जाएगी। इन बातों को यदि थाना पुलिस ध्यान में रखे तो गवाह अभियोजन पक्ष के साथ बने रहेंगे। थाना पुलिस अपने अभियोगों के गवाहों को जब कभी नहीं पूछती तब उसका फायदा अभियुक्त पक्ष उठा लेता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निम्नलिखित उपाय करने आवश्यक हैं—

1. गवाहों की सुरक्षा के लिए थाना पुलिस संकल्प करे कि उनकी सुरक्षा गवाही देने से पहले व गवाही देने के बाद उनका उत्तरदायित्व है।

2. गवाहों की एक सूची बीटवार थाने पर रखी जाए जिससे उनसे बीट में जाने पर संपर्क किया जा सके।

3. जब भी कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी गवाह के निवास स्थान के गांव या मोहल्ले में जाए तो वह गवाह से यह अवश्य पूछे कि उसको गवाह होने के कारण कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। यदि किसी गवाह को कोई अभियुक्त या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति धमका रहा हो कि वह गवाही न दे तो यह बात उससे लिखित में प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे उस अपराधी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

4. गवाहों को न्यायालय में बुलाने के सम्मन की तामील उन पर समय से की जाए जिससे वह सही समय पर न्यायालय में उपस्थित हो सकें।

5. यदि उन्हें न्यायालय जाने में अभियुक्तों से किसी प्रकार का डर हो तो उनके साथ सुरक्षा हेतु पुलिसकर्मी भेजे जाएं।

6. जिस दिन किसी अभियोग में साक्ष्य हेतु गवाह बुलाए गए हों उस दिन एक मुख्य आरक्षी या उपनिरीक्षक पुलिस को अवश्य पैरवी हेतु न्यायालय भेजा जाय जिससे वह गवाहों को सही समय पर न्यायालय में पेश कर सके, उन्हें अभियुक्तों के प्रभाव से दूर रख सके व गवाह के मुकर जाने पर उसे पक्षद्रोही घोषित करा सके।

7. उनको न्यायालय से आने-जाने का खर्चा व गवाही के दिन का भत्ता दिलवाया जाए जिसका वैधानिक प्रावधान है।

पुलिस थानों को प्रभावी बनाने के सुझावों का सारांश

1. थाना प्रभारी को कम-से-कम दो वर्ष तक नियुक्त रखा जाए।

2. थाना प्रभारी एक मैनेजर की तरह कार्य करे और उसकी निगाह थाने के प्रत्येक कार्य पर रहनी चाहिए।

3. थाने के अपराध संबंधी अभिलेख अध्यावधिक रखे जाएं जिसके लिए एक उपनिरीक्षक को लगाया जाए।

4. थाने का बीट सिस्टम सही प्रकार से व्यवस्थित करके चलाया जाए। प्रत्येक बीट में तीन आरक्षी रखे जाएं जिससे एक के अवकाश पर जाने या अस्वस्थ होने पर दो आरक्षी अपनी बीट में रोज जा सकें और

बीट सूचनाएं लाने व सम्मन की तामील व गश्त का कार्य कर सकें।

5. प्रत्येक आठ आरक्षियों से कार्य का संपादन कराने के लिए एक मुख्य आरक्षी को जिम्मेदार बनाया जाए जो उन्हें बीट में जाते समय ब्रीफ करे व वापस आने पर किए गए कार्यों के बारे में पूछताछ करे।

6. पुलिस के कार्यों में जनता की भागीदारी को प्राप्त किया जाए। प्रत्येक मोहल्ले व गांव में पांच अच्छे व्यक्ति चिह्नित किए जाएं जो पुलिस को अपराध की रोकथाम में सहायता करें।

7. अपराधियों के विरुद्ध रिकार्ड के आधार पर कार्रवाई की जाए जिससे शिकायत होने पर उस कार्रवाई को उचित ठहराया जा सके।

8. किसी व्यक्ति को गलत बंद न किए जाए और सही अपराधियों की तलाश करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि वास्तविक अपराधियों की कमी नहीं है और यदि कमी है तो उन्हें चिह्नित करने की है।

9. अभियोगों की पैरवी हेतु आरक्षी के अलावा एक उपनिरीक्षक पुलिस को भी नियुक्त किया जाय।

10. पुलिसकर्मी अपना व्यवहार मानवीय रखें, क्योंकि अगर वह मानवीय व्यवहार रखेंगे तो जनता का सहयोग उनको प्राप्त हो जाएगा अन्यथा पुलिसकर्मी उनके लिए काम करते रहेंगे जिनका उन पर विश्वास नहीं है और यह वर्तमान समय में पुलिस के समक्ष चुनौती है।

11. उपनिरीक्षक को सी.यू.जी. फोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे उससे संपर्क साधा जा सके।

12. प्रत्येक पुलिस पिकेट को एक छोटा वायरलेस सैट उपलबध कराया जाए जिससे कोई समस्या होने पर वह थाना/कंट्रोल रूम से संपर्क साध सके।

13. प्रत्येक माह थाने पर पुलिसकर्मियों की मीटिंग करके अच्छा कार्य करनेवालों को पुरस्कार देने की योजना चलाई जाए जिससे अन्य पुलिसकर्मी प्रोत्साहित हो सकें और इससे थाना प्रभारी की पकड़ अपने अधीनस्थों पर मजबूत बन सकेगी।

14. थाने पर एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जाए जिसमें दैनिक अधिकारी को व एक आरक्षी को बिठाया जाए जो थाने पर आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करावाकर उनका एक रजिस्टर में रिकार्ड रखें।

15. थाने की सरकारी गाड़ी के लिए डीजल/पेट्रोल उस थाने की आपराधिक स्थिति व कानून-व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। इसके लिए जनपद के पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर यह निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्येक थाने की स्थिति से परिचित होते हैं।

सड़क दुर्घटना : आतंकवाद से अधिक खतरनाक (समस्या एवं सुझाव)

शालिकराम मिश्र
10/524 संजय नगर, केशर के पास, रीवा (म.प्र.)
आराधना मिश्रा
शिक्षिका, श्रवण कुमारी सीनियर सेकंडरी स्कूल
चिरहुला रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना : दैनिक समाचार-पत्रों में ऐसा कोई पृष्ठ नहीं रहता जिसमें सड़क दुर्घटना के समाचार न हों। भारत जैसे विशाल देश में आये दिन सड़क दुर्घटना में इस देश के ऐसे लोग मौत की गोद में समा जाते हैं जिनमें देश व प्रदेशों के राष्ट्रीय नेता, वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, वैज्ञानिक, पायलट, रेल के चालक हैं जो लाखों-करोड़ों लोगों की जान की सुरक्षा का भार स्वयं उठाने वाले व्यक्ति होते हैं। परंतु सड़क दुर्घटना जैसी घटनाओं में देश की इन महान विभूतियों को जो करोड़ों लोगों के जीवन रक्षक, देश के रक्षक या देश को किसी-न-किसी स्वरूप में एक नई दिशा देनेवाले होते हैं, उन्हें ये सड़क दुघर्टनारूपी मौत समय के पूर्व नष्ट कर देती है। जिससे अपने देश को एक ऐसी विकराल क्षति सहन करनी पड़ती है जिसका जिम्मेवार कोई अन्य देश नहीं वरन् अपने ही देश के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके द्वारा की गई क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमें अपने ही देश के ऐसे लोगों के बारे में कुछ विचार करना होगा जिनके द्वारा अपने ही देश की असीमित क्षति की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य : देश में होनेवाली सड़क दुर्घटनाओं से विशालतम क्षति जिसमें अपने देश के ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। यदि वह इस सड़क दुर्घटनारूपी मौत से बचे रहते तो देश के विकास में अतुलनीय सहयोग करते और देश के ऐसे लोगों को मृत्यु से बचाया जा सकता जो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं और दूसरे की लापरवाही एवं त्रुटि के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है जिससे देश को अपूरणीय क्षति होती है।

सड़क दुर्घटना एक ऐसी खतरनाक दुर्घटना है जो किसी आतंकवादी घटना से कम किसी भी स्थिति में नहीं है। ये दुर्घटनाएं अपने ही देशवासियों को अकाल मौत के रूप में समय के पूर्व मृत्यु बनकर निगल जाती हैं। इन मौतों से न जाने कितने परिवार बेघर हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इससे जनहानि के साथ देश के विकास में अनेक बाधाएं, अकाल मृत्युओं व दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। दुर्घटना के बाद कई बार जनता के आक्रोश प्रशासन के विरोध में होते हैं। स्थिति यहां तक भयावह हो जाती है कि तोड़-फोड़, आगजनी व रोड में चकाजाम आदि की स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे देश को अनेक प्रकार की क्षति होती है। इन्हीं दुर्घटनाओं के कारण देश के अनेक पुलिस कर्मचारी चिकित्सा विभाग, न्यायालय के कर्मचारी एवं घायलों के परिजन उनकी देख-रेख इलाज व सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। जिसमें घायलों को असह्य पीड़ा (दर्द) के साथ उनको शारीरिक एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। कुछ लोग तो विकलांग भी हो जाते हैं, जो आजन्म विकलांग ही रहते हैं और जिनकी इन दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई उनके परिवार की तो परिस्थितियां ही प्रतिकूल हो जाती है। जिन्हें बचाने के लिए अपने देश के अनेक विद्वानों व बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाना ही शोधपत्र का उद्देश्य है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व में सर्वप्रथम सड़क

दुर्घटना 1896 में इंग्लैड में हुई थी। इस अवधि में लोगों के द्वारा समाचार-पत्रों के माध्यम से एवं अन्य तरीकों से इस घटना का जोरदार विरोध किया गया था। उस समय लंदन के महापौर द्वारा लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि इस प्रकार की घटना पुनः नहीं होगी और इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। वर्तमान समय में विश्वभर में प्रतिवर्ष 25 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निष्कर्ष के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर संख्या 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 406726 सड़क दुर्घटनाओं में 85998 व्यक्तियों की, वर्ष 2004 में 429910 दुर्घटनाओं में 92618 व्यक्तियों की तथा वर्ष 2005 में 439255 दुर्घटनाओं में 94968 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां पर लगभग प्रत्येक वर्ष नौ हजार लोग असमय मौत के आगोस में समाते हैं। आपराधिक आंकड़ों को देखने पर प्रत्येक वर्ष की दुर्घटनाओं के आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में पाए जाते हैं। भारत वर्ष के अनगिनत महापुरुष सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति महोदय भी सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के युवा पुलिस अधीक्षक श्री नीरज बुलचंदानी, नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक श्री रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, मध्य रेलवे सतना के रेल चालक श्री कृपाशंकर चतुर्वेदी, शहडोल जिले के डा. आलोक पाठक आदि की कुछ ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है जिन्हें देखकर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि अपने देश की इन विशाल शक्तियों का विनाश अकारण हो रहा है। ऐसी दर्दनाक और अप्राकृतिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए अपने (अतीत) इतिहास का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

सड़क दुर्घटना के कारण

अध्ययन के समय सड़क दुर्घटना के जितने भी प्रकरणों को देखा गया है उनमें से अधिकतर प्रकरण खड़े वाहनों (ट्रकों) में दुर्घटनाएं होना पाई गई जो अन्य दुर्घटना से अधिक खतरनाक प्रतीत होना पाई जाती है। इस प्रकार दुर्घटनाओं में छोटे वाहनों के खड़े ट्रकों सें टकराने पर छोटे वाहनों में सवार लोगों के बचने की आशाएं न के बराबर होती हैं। ऐसी स्थिति में हुये एक्सीडेंट को गंभीरता की दृष्टि से अत्यंत गभीरतम् प्रकृति का माना जा सकता है। सड़क पर खड़े वाहनों से एक्सीडेंट के अतिरिक्त भी सड़क दुघर्टनाओं के अन्य कई कारण भी हैं। सड़क दुर्घटनाओं में भी प्रायः दो पक्ष होते हैं, जिनमें दोनों पीड़ित पक्ष भी हो सकते हैं, कभी-कभी पीड़ित पक्ष एक ही होता है। इसका आकलन घटित घटना में हुई हानि (क्षति) के आधार पर किया जाता है (माना जाता है)। सड़क दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं, परंतु उनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं :

1. आम सड़क पर पार्किंग करने से।
2. आम सड़क पर पार्किंग किए गए वाहन की लाइट नहीं जलने से।
3. दक्ष व्यक्ति द्वारा वाहन न चलाने से।
4. चालक द्वारा (ओवर कांफीडेंस) क्षमता और ज्ञान से अधिक विश्वास के कारण।
5. नशे में वाहन चलाने से।
6. वाहन में मशीनरी त्रुटि होने से।
7. रात्रि में वाहन चालक द्वारा लाइट का उचित प्रयोग नहीं करने से।
8. अनियमित रफ्तार से।
9. वाहन चलाते समय वाहन में आने वाली त्रुटि को चलाते हुए सुधारने के कारण।
10. युवा लड़कों द्वारा सड़क पर जानबूझकर टेढ़ा/मेढ़ा चलाने से।
11. सड़क पर पशुओं के आ जाने से।
12. कुछ चालकों के लाइसेंस प्रदाय में शिथिलता से।

13. वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच नहीं होने से।

14. सड़क पर यातायात के गति अवरोधक, स्कूल, चिकित्सालय, मोड़ आदि के उचित निशान नहीं होने से।

15. वाहन चालकों को सड़क पर निर्मित निशान, चिह्न का ज्ञान नहीं होने से।

16. चालकों द्वारा एक्सीडेंट के माध्यम से की गयी क्षति का आकलन एक्सीडेंट करने वाले को नहीं होना आदि।

इनके अतिरिक्त भी सड़क दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं जिनसे आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनसे ऐसी क्षति हो जाती है जिनकी पूर्ति भविष्य में कभी भी और किसी प्रकार से भी संभव नहीं होती है। इसलिए कुछ ऐसे उपायों की आवश्यकताएं महसूस की जा रही हैं कि यदि सड़क दुर्घटनाओं से इस प्रकार की क्षति न हो तो देश को एक विशालतम क्षति से बचाने का सफलतम् प्रयास होगा।

पुलिस कार्रवाई : आधुनिकीकरण होने की स्थिति में भी पुलिस की कार्रवाई प्रायः काफी पुरानी पद्धति से ही की जा रही है। साधारणतया दोनों तरफ के वाहनों या एक के विरुद्ध अपराध पंजीयन किये जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाना व घायल का चिकित्सीय परीक्षण एवं मृतक का शव परीक्षण कराए जाने तक सुनिश्चित है। जबकि वाहन दुर्घटना में निम्न बिंदुओं पर भी पुलिस अधिकारियों को विवेचना के दौरान निगाह डालना आवश्यक है और आवश्यकतानुसार प्रकरण की डायरी में भी इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

सड़क दुर्घटना में पुलिस को विवेचना के दौरान निम्न तथ्य प्राप्त किए जाने चाहिए :—

1. दुर्घटना क्या मोड़ (टर्न) के कारण हुई यदि हां तो टर्न का चिह्न सड़क के किनारे समुचित स्थान पर था या नहीं। चिह्न नहीं होने की वजह से क्या दुर्घटना हुई? यदि हां, तो वह चिह्न लगाने का कार्य किस विभाग का या किस अधिकारी, कर्मचारी का था स्पष्ट होना चाहिए और उसे दुर्घटना घटित करने का सह-आरोपी (सहयोगी) बनाया जाना चाहिए।

2. सड़क दुर्घटना क्या आम रोड पर गड्ढ़े या ब्रेकर के कारण हुई? यदि हां, तो उसका दोषी, जवाबदार कौन है? यदि ब्रेकर के कारण दुर्घटना घटित हुई तो क्या ब्रेकर में रेडियम, पेंट व ब्रेकर हो सकते थे या नहीं? यदि नहीं तो वह चिह्न (संकेत) बनाने का कार्य किस विभाग का या किस अधिकारी, कर्मचारी का था स्पष्ट होना चाहिए और उसे दुर्घटना घटित करने का आरोपी बनाया जाना चाहिए।

3. दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन यदि बिना नंबर का था तो उसके लिए कौन-कौन, जैसे—आर.टी.ओ. विभाग, यातायात प्रभारी आदि जवाबदार थे? बिना नंबर का वाहन था तो वह किन-किन क्षेत्रों में निकलता था? उसके विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के लिए कौन-कौन दोषी हैं, स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. सड़क पर आनेवाले पशुओं को कांजी हाउस या गौशाला में दाखिल करवाया जाकर पशु मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाने के लिए कठोर अधिनियम बनाया जाना चाहिए, या निर्मित अधिनियम में परिवर्तन कर उसे कठोर दंडात्मक स्वरूप देना चाहिए।

5. वाहन चालक के दोषों को भी उल्लेखित किया जाकर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस प्रकार से यदि सभी का दोष है तो सभी को अपराध के लिए दंड प्राप्त हो और क्लेम आदि के भुगतान की राशि भी सभी दोषियों से वसूल किए जाने हेतु निर्मित अधिनियमों का उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं पर काफी नियंत्रण होगा।

6. इलेक्ट्रोनिक विधियों का सहयोग प्राप्त कर

प्रमुख चौराहों से निकलने वाले वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध वीडियो कैमरे में आनेवाले ऐसे वाहन जो यातायात नियमों का पालन न कर रहे हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने से सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण की काफी संभावनाएं हैं।

सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय

सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई चरणों में जिनमें पुलिस की विवेचना एवं कठोर दंड व्यवस्था आदि अनेक सुधारों की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटना आतंकवादी घटनाओं से अधिक खतरनाक है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए पृथक से आतंकवादी घटनाओं जैसा ही कठोर अधिनियम बनाया जाना चाहिए या निर्मित अधिनियम में आंशिक परिवर्तन कर उसे कठोर दंडात्मक स्वरूप देना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1990 से 2001 तक 29098 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में लगभग 9 हजार लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु होती है।

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से भी आंकड़ों के अनुसार आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों से अधिक सड़क दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं। इसीलिए सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के उपाय से अधिक कारगर (सफल) उपायों की आवश्यकता है। जिसमें कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—दुर्घटना से मृत्यु पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में चालकों द्वारा जान-बूझकर लापरवाही की जाती है और जान बूझकर लापरवाही से वाहन चलाकर वाहनचालक दुर्घटनाएं करते हैं। इसी प्रकार दुर्घटना के कारण घायल को गंभीर (जानलेवा) चोट उत्पन्न हो, तो ऐसी घटनाओं पर हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। इनके अतिरिक्त कुछ उपाय निम्न स्वरूपों में है—

1. वाहन चालकों के लायसेंस जारी करते समय उनका परीक्षण किया जाना चाहिये साथ ही एक्सीडेंट होनेवाली संभावित क्षति को उन्हें अवगत कराया जाना चाहिये।

2. वाहन चालकों को लायसेंस प्रदाय करने के पूर्व कम-से-कम 3 से 5 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाना चाहिये जिसमें उन्हें होनेवाली क्षति करनेवाले चालक को दण्डित किये जानेवाली समस्त जानकारियों को अवगत कराया जाना चाहिये।

3. ऐसे चालकों के विरुद्ध कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये जिसमें लापरवाही से एक्सीडेंटों की संभावना बढ़ती है।

4. यातायात संबंधी विभिन्न जानकारी एवं सड़क दुर्घटना से होनेवाली क्षति के संबंध की जानकारी का समावेश प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, साथ ही इसका विस्तार उच्च शिक्षा में भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रेरित होकर बच्चे अपने पालकों को भी इस संबंध में जागरूक करें। इन माध्यमों से सड़क दुर्घटना रोकने के प्रयास में अवश्य सफलता प्राप्त होगी।

5. उपरोक्त पाठ्यक्रम में ऐसी घटनाओं का समावेश किया जाना चाहिये जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो कि एक्सीडेंट करनेवाला धनवान या प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अवश्य होती है और वह दंडित किया जाता है।

6. ऐसा एक्सीडेंट करनेवाला व्यक्ति भी घटना में घायल हो सकता है या उसकी भी मृत्यु हो सकती है। इसका ज्ञान भी चालक को लायसेंस प्रदान करने के पूर्व दिये जाने चाहिये।

7. प्राथमिक शिक्षा में ऐसी शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिये जिससे प्रेरित होकर बच्चे अपने माता-पिता या परिवार के ऐसे सदस्यों को जो वाहन चालक हो उन्हें एक्सीडेंट व एक्सीडेंट से होनेवाली क्षति के बारे में बताकर जागरूकता उत्पन्न करने व इसके प्रचार-प्रसार में पाठ्यक्रम के माध्यम से सहयोग प्राप्त हो

सकेगा। जिससे सड़ दुर्घटना रोकने के प्रयास में सफलता प्राप्त होगी।

देश के काफी लोग वाहन चला रहे हैं, उन्हें यह शिक्षा दी जाना मुमकिन नहीं है। अतः इस प्रकार के स्लोगन या सूचनाएं समाचार पत्रों दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों आदि के माध्यम से दिया जाना चाहिये साथ ही भविष्य में जारी होनेवाले चालकों को लायसेंस देने के पूर्व इस प्रकार की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिये जिससे एक्सीडेंट की घटनाओं में अवश्य विराम लगेगा और हमारे देश को दुर्घटना रूपी अकाल मौतों से होनेवाली अपूर्णनीय क्षति से बचाने में सहयोग प्राप्त होगा।

उपसंहार : सड़क दुर्घटनाओं के माध्यम से अपने देश को ऐसी विकराल हानि सहन करनी पड़ती है। जिसका आकलन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी हानि का कारण मात्र सामान्य लापरवाही है परंतु उस लापरवाही से हुई हानि की पूर्ति किसी भी स्वरूप में की जानी संभव नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि सामूहिक नरसंहार, नक्सलवादी या आतंकवादी समस्या से कम किसी भी प्रकार नहीं है। अतः इस प्रकार की क्षति न हो इसके लिए कठोर अधिनियम का पालन किया जाना आवश्यक एवं उचित है।

संदर्भ

1. भटनागर सम्मी—अपराध शास्त्र अंकुर प्रकाशन ग्वालियर मध्य प्रदेश 1998।

2. बाबेल बसंतीलाल—पुलिस गाईड, दि लायर्स होम इंदौर मध्य प्रदेश 2013।

3. माथुर कृष्णमोहन—स्वातंत्र्योत्तर भारत में जनता का उत्तरदायित्व तथा पुलिस की भूमिका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली, 1991।

4. राठौड़ अजय सिंह—पुलिस विज्ञान माह अप्रैल से जून 1991 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली।

5. शुक्ला एस.एम.—मध्य प्रदेश पुलिस पत्रिका माह अगस्त 2010 मध्य प्रदेश भोपाल।

6. दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 28.03.2007, 14.06.2007, 10.09.2007, 17.04.2008, 22.04.2008, 25.05.2008।

प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की राजस्थान पुलिस में प्रासंगिकता

जालमसिंह
पीएच.डी. स्कालर
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
(लोक प्रशासन संकाय) इग्नू नई दिल्ली-110068

प्रस्तावना—शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांत 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में लोक प्रशासन में प्रविष्ट हुए हैं तथा इन सिद्धांतों का वर्तमान के पुलिस संगठनों में महत्वपूर्ण स्थान है। आज पुलिस संगठन के रूप में राजस्थान पुलिस भी एक संगठन है। उसका अध्ययन करने से पूर्व शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांतों की अवधारणाओं का अध्ययन करना आज के संदर्भ में नितांत आवश्यक है। प्रस्तावना के रूप में आलेख को तीन खंडों में बांटकर **प्रथम खंड** में शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांतों की आवश्यकता, **द्वितीय खंड** में राजस्थान पुलिस की कार्य संरचना और शास्त्रीय सिद्धांतों की राजस्थान पुलिस में प्रासंगिकता, **तृतीय खंड** में राजस्थान पुलिस में वर्तमान में इन सिद्धांतों के बदलावों से संबंधित कर अध्ययन की विस्तृत रूपरेखा निर्मित की गई है।

आलेख का प्रथम खंड—शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांतों की अवधारणा

सर्वप्रथम मैं अपने अध्ययन विषय से संबंधी शीर्षक को समझने के लिए शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांतों की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि शास्त्रीय सिद्धांतों को समझा जा सके। शास्त्रीय का शाब्दिक अर्थ परंपरागत रूप से और लंबे समय से स्थापित किसी व्यवस्था से होता है। एक संगठन के व्यवस्थित रूप से अध्ययन की यह पद्धति प्रारंभ के रूप में देखी जा सकती है। शास्त्रीय चिंतकों ने संगठन को एक मशीन और व्यक्ति को उसके अंग के रूप में या पुर्जे के रूप में स्वीकार किया है। यह उपागम संगठन के आंतरिक तत्वों का भी अध्ययन करता है और बाहरी वातावरण को तत्व इस प्रकार संगठन को प्रभावित करते हैं। इस पर कम ध्यान देता है। राजस्थान पुलिस संगठन भी अपने आप में शास्त्रीय संगठन है। पुलिस में पुलिस कार्मिक को 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। उसे एक मशीन के पुर्जे की तरह माना गया है। उसे खाना खाना, थकान का अनुभव करने पर विश्राम की सुविधा नहीं दी गई है। पुलिस एक्ट राजस्थान पुलिस एक्ट के नियम 20.5.2015 के अनुसार पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर रहेंगे। एक्ट में लिखा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा। नियम 20.5.2008 के अनुसार पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। पुलिस के ये सिद्धांत भी शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांतों से मेल खाते हैं।

संगठन का यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध और नौकरशाही व्यवस्था से संबंधित रहा है जिसमें मुख्य योगदान एफ. डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक एवं मूनै तथा मैक्सवेबर का रहा है।

संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादकों में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध प्रणाली, कार्यात्मक फोरमेनशिप, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली एवं मानसिक क्रांति प्रमुख हैं। हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए जिनमें 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गये हैं—योजना, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण।

गुलिक ने पोस्डकोर्ब शब्द का विशेष रूप से प्रयोग निम्न अर्थों में किया है :—P-Planning, O-Organizing, S-Staffing, D-Directing, C-Co-Ordinating, R-Reporting, B-Budgeting तथा गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं। गुलिक ने 4 Ps के माध्यम से कार्य का विभाजन

किया है। उर्विक ने संगठन के आठ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।

मैक्सवेबर ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें सत्ता या प्राधिकार के तीन प्रकार बतलाऐ हैं :—1. पारंपरिक सत्ता, 2. करिश्माई सत्ता, 3. वैद्य-विवेकपूर्ण सत्ता, अर्थात मैक्सवेबर ने प्रतिपादित किया है कि नौकरशाही वैद्य—विवेकपूर्ण सत्ता के अंतर्गत आती है तथा मैक्सवेबर ने नौकरशाही का आदर्श माडल प्रतुत किया एवं नौकरशाही की कतिपय विशेषताएं भी बतलाई जिनमें प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं—

1. श्रम का स्पष्ट विभाजन,
2. पद सोपान,
3. लिखित दस्तावेज,
4. निर्वैयक्तिक आदेश,
5. अनुशासन इत्यादि।

द्वितीय खंड—राजस्थान पुलिस में शास्त्रीय सिद्धांतों की प्रासंगिकता

राजस्थान पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था—उत्पत्ति एवं विकास

राजस्थान पुलिस की स्थापना राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश 1949 के द्वारा की गई। राजस्थान पुलिस का गठन राजस्थान की देशी रियासतो की पुलिस का विलयन कर किया गया था। उसका मुख्यालय राजस्थान के जयपुर जिले में है। राजस्थान पुलिस संगठन की स्थापना के बाद उसका प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है। पुलिस का एक निदेशालय बनाया गया है जिसका प्रमुख पुलिस महानिदेशक होता है। राजस्थान पुलिस में पूर्व में डी.जी.पी. की जगह आई.जी.पी. का पद होता था। श्री आर. बनर्जी को राजस्थान पुलिस का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया। पुलिस के कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए डी.जी.पी. की सहायता के लिए ए.डी.जी.पी., आई.जी.पी., पुलिस मुख्यालय पर तैनात रहकर पुलिस महानिदेशक की सहायता करते हैं तथा पुलिस को प्रशासनिक दृष्टि से रेंजों में बांटा गया है। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में रेलवे रेंज सहित कुल 08 पुलिस रेंज हैं। रेंज के अंतर्गत निश्चित संख्या में जिले रखे गये हैं। जिलों का प्रभारी पुलिस अधीक्षक होता है उसकी सहायता के लिए A.S.P., Dy. SP., Inspector, Sub-Inspector, Assistance Sub-Inspector, Head-Constable, & Constable इत्यादि।

शास्त्रीय विचारधारा के मूल आधार आज भी राजस्थान पुलिस संगठन में मौजूद हैं वे इस प्रकार से है—

1. वैज्ञानिक प्रबंध प्रणाली

आजकल राजस्थान पुलिस में अनुसंधान का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट एक प्रयास है। यह अपराध के अनुसंधान में एक नियोजित तरीके से अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन और ऊपर के स्तर पर काम करता है। सी.आई.पी.ए. सॉफ्टवेयर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। सभी पुलिस स्टेशन कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं और सी.आई.पी.ए. सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक काम कर रहा हे। एफ.आई.आर. क्राइम डिटेल फॉर्म, अरेस्ट/ कोर्ट फॉर्म, प्रोपर्टी सर्च एवं सीजर फॉर्म फाइनल रिपोर्ट, अपील का नतीजा यह सभी इन प्रफॉर्मों में उपलब्ध हैं। एफ.आई.आर. का पंजीकरण, अन्वेषण मामलों का अभियोजन आदि विचाराधीन है।

आजकल घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करने में कैमरे का प्रयोग एफ.एस.एल. जांच करवाना, मोबाइल ट्रेस कर अपराधियों का पता लगाना तथा जी.पी.एस. एवं जी.आई.एस. प्रणाली का प्रयोग भी विचाराधीन है। अतः वैज्ञानिक प्रबंधक प्रणाली का राजस्थान पुलिस में

प्रयोग किया जा रहा है। इससे पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता आई है।

2. कार्य का विभाजन

राजस्थान पुलिस नियम 1948 के अध्याय 5,6,7,8 एवं 9 के तहत कार्य का प्रत्येक स्तर पर विभाजन किया गया है। पुलिस के कार्यों को संपादित करने के लिए पुलिस मुख्यालय पर 1. प्रशासन शाखा, 2. वित्त शाखा, 3. प्रशिक्षण शाखा, 4. पुलिस कल्याण, भवन तथा आधुनिकीकरण शाखा का गठन किया गया है तथा रेंज स्तर पर पुलिस के कार्यों का बंटवारा किया गया है। रेंज से जिला स्तर पर पुलिस के कार्यों का बंटवारा किया गया जिसमें अपराध शाखा, एम.ओ.बी., विशेष शाखा, फोर्स शाखा, लेखाशाखा आदि के रूप में किया गया है। इन शाखाओं में विशेषीकरण के आधार पर पुलिसकर्मी एवं मंत्रालयिक स्टाफ को अलग-अलग कार्य सौंपे गए है।

3. पद सोपान

राजस्थान पुलिस में पद सोपान व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें समस्त कार्रवाई क्रमिक रूप से अथवा चरणों की पंक्ति द्वारा होती है। प्रत्येक कार्य उचित मार्ग (Though proper Channal) द्वारा संपन्न होता है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी का तत्कालीन उच्च अधिकारी निश्चय होता है। राजस्थान पुलिस संगठन की पद सोपान व्यवस्था को निम्नलिखित ढंग से दर्शाया जा सकता है :—

पुलिस महानिदेशक
(Director General of Police)
↓
पुलिस महानिरीक्षक
(Inspector General of Police)
↓
पुलिस उपमहानिरीक्षक
(Deputy Inspector General of Police)
↓
जिला पुलिस अधीक्षक
(Suprintendent of Police)
↓
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(Additional Suprintendent of Police)
↓
पुलिस उप अधीक्षक
((Deputy Suprintendent of Police)
↓
निरीक्षक पुलिस
(Inspector of Police)
↓
पुलिस उप निरीक्षक
(Sub-Inspector of Police)
↓
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
Assistant Sub-Inspector Police
↓
हैड कांस्टेबल
Head Constable
↓
कान्स्टेबल
Constable

पद सोपान प्रणाली राजस्थान पुलिस संगठन में आज भी प्रासंगिक है। इसमें आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होता है। नेतृत्व का निर्धारण होता है। पुलिस कार्मिक उत्तरदायी बने रहते हैं।

4. आदेश की एकता

राजस्थान पुलिस संगठन एक अनुशासित संगठन है। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आदेश देते हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस उप अधीक्षक को। इस प्रकार यह क्रम कांस्टेबल तक चलता रहता है। पुलिस संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन बहुत ही अनिवार्य है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो अनुशासन खतरे में पड़ जाता है। सत्ता कमजोर पड़ जाती है। पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है।

5. सत्ता का प्रत्यायोजन

राजस्थान पुलिस में सत्ता का प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की ओर होता है। पुलिस अधीक्षक या ऊपर के अधिकारी अपने आदेश से किसी भी कार्य या उत्तरदायित्व को अपने से अधीनस्थों को सौंप सकते हैं। इसमें उत्तरदायित्व तो सौंपने वाले अधिकारी का ही रहेगा। इस प्रकार पुलिस में प्रत्येक कार्य को अधीनस्थों को प्रत्यायोजित किया जाता है जिससे सिद्धांत का पालन अनिवार्य रूप से हो जाता है तथा पुलिस संगठन में सत्ता का प्रत्यायोजन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है।

6. नियंत्रण का क्षेत्र

राजस्थान पुलिस में नियंत्रण के क्षेत्र का बहुत महत्व है। नियंत्रण के क्षेत्र का निर्धारण पुलिस संगठन में इस आधार पर किया गया है कि एक समय में एकसाथ कितने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। विभिन्न प्रशासनिक सिद्धांतकारों ने अपने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं जो इस प्रकार हैं—हेमिल्टन के अनुसार 3 से 4, फेयोल के अनुसार 5 से 6, ग्रेकुनाज के अनुसार 5 या 6। इस प्रकार पुलिस संगठन में नियंत्रण के क्षेत्र के अनुसार एक हेड कांस्टेबल के अधीन 4 कांस्टेबल पुलिस मैन्यूअल के अनुसार रखे गये हैं। एक हेड कांस्टेबल अच्छी तरह से 4 कांस्टेबलों पर नियंत्रण रख सकता है। यह नियंत्रण के क्षेत्र निर्धारण की आदर्श संख्या है।

पुलिस संगठन में नियंत्रण के बिना प्रशासन संचालित नहीं किया जा सकता है। एक अधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कितने अधीन कर्मचारियों का भलीभांति निरीक्षण कर सकता है। इसकी भी सीमा होती है। इस प्रकार कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व का भी नियंत्रण की सीमा के निर्धारण में प्रभाव पड़ता है। यदि अधिकारी दबंग, साहसी, ईमानदारी से कार्य करनेवाला होता है तो कम कर्मचारियों से भी भीड़ को नियंत्रित कर लेगा। यदि पुलिस अधिकारी कमजोर नेतृत्व वाला समय का पाबंद नहीं हो तो वह बहुसंख्यक कर्मचारियों से भी भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार नियंत्रण का क्षेत्र पुलिस विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।

7. वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी प्रत्येक जिले की पुलिस का वार्षिक निरीक्षण कर मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करता है। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के दो भाग होते हैं —1. व्यवसायिक मूल्यांकन, 2. कार्मिक मूल्यांकन व्यावसायिक मूल्यांकन—अ. पुलिस प्रभावशीलता एवं कौशल स्तर, ब. कार्य आगत, स. टीम कार्य, द. उत्तरदायित्व, य. संसाधनों का अधिकतम उपयोग, र. अधीनस्थों की देखभाल एवं मार्गदर्शन।

कार्मिक मूल्यांकन—कार्मिक मूल्यांकन में निम्नलिखित भाग होते हैं—अ. साज-सज्जा एवं पहनावा, ब. अनुशासन, स. ईमानदारी एवं पवित्रता, द. संचार कौशल, य. कम्प्युटर प्रणाली का प्रशिक्षण। इस प्रकार वार्षिक मूल्यांकन के माध्यम से पुलिस को उत्तरदायी एवं जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया गया है।

तृतीय खंड—यह वर्तमान पुलिस बदलावों से संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कमिश्नरैट प्रणाली की जयपुर व जोधपुर में शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य अपराधों की त्वरित रोकथाम करना,

पुलिस को जवाबदेह, पारदर्शी, समावेशी, कानून का पालन करने योग्य बनाना है। इस प्रणाली का शुभारंभ राजस्थान में जुलाई 2012 में किया गया है। राजस्थान पुलिस में हाल ही में पुलिस आयोग का गठन किया गया है। पुलिस में पदसोपान के तहत गैंग-फ्लैक व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा है जिससे पुलिस के कार्य में त्वरित विकास हुआ है। राजस्थान पुलिस में पुलिस अध्ययन के प्रति आमजन को शिक्षा देने के लिए जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। पुलिस में सभी पुलिसकर्मियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिला स्तर पर महिला थानों का गठन किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एक जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो नाम से एक सेल का गठन किया गया है तथा मानव तस्करी को रोकने के लिए मानव तस्करी सेल का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में पुलिस में कई बदलाव हुए हैं। इन सब बदलावों के पीछे प्रमुख कारण शास्त्रीय सिद्धांतों की प्रासंगिकता रही है।

8. निष्कर्ष—

राजस्थान पुलिस संगठन में शास्त्रीय विचारधाराओं के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं जिनमें पुलिस में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। आईसीटी के माध्यम से पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। कार्य का विभाजन होने से पुलिस अपना कार्य सही ढंग से निष्पादित कर रही है। पद सोपान का पालन होने से पुलिस में अनुशासन का विकास हुआ है। पर्यवेक्षण के द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस की दक्षता में वृद्धि हुई है। अतः शास्त्रीय विचारधारा के सिद्धांत कार्य का विभाजन पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन आदि के माध्यम से पुलिस को सामुदायिक एवं मित्रवत् बनाने में एवं पुलिस के समावेशी विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यदि इनका पालन नियम एवं विनियमों के अनुसर किया जाता है तो इनके माध्यम से एक जनमित्र पुलिस का निर्माण संभव होगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

- डा. फड़िया, बी.एल., लोक प्रशासन (2010) संगठन सिद्धांत एवं उपागम पृष्ठ संख्या (180-196) साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
- डा. सुरेंद्र कटारिया, प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2013
- वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा (2009) प्रशासनिक सिद्धांत (एम.ए., पी.ए.-01) पृष्ठ संख्या (51-76)
- राजस्थान पुलिस नियम 1948 का पांचवां अध्याय
- राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007

बेबसाइटस

www.rajasthanpolice.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

पुलिस से संबंधित हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना वर्ष 2015-16

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनाशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के द्वारा प्रोत्साहित करता है।

इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं—

भाग-1

पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :

(1) मूल प्रकाशित पुस्तकें—₹ 30,000 तक के पांच पुरस्कार। इनमें से एक पुरस्कार महिला लेखिका के लिए आरक्षित है, बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) हिंदी में अनूदित प्रकाशित पुस्तकें—₹ 14,000 तक के दो पुरस्कार। एक पुरस्कार महिला अनुवादक के लिए आरक्षित है, बशर्ते उनकी रचना उपलब्ध हो।

भाग-2

ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी निश्चित विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष ₹ 40,000 तक का पुरस्कार प्रदान करता है। लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री पुस्तक में शामिल करनी है का उल्लेख अपनी एक रूपरेखा के द्वारा ब्यूरो में जमा करना होगा। इस वर्ष का विषय है : **नई प्रोद्यौगिकी और पुलिस**। इसी भाग के अंतर्गत एक अन्य ₹ 40,000/- का पुरस्कार केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस का विषय होगा **घरेलू हिंसा और महिला पुलिस**। इस विषय पर भी रूपरेखाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

नियम

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(2) योजना भाग-1 में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो 31.12.2014 तक प्रकाशित हुई हैं।

3. भाग-1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं, परन्तु विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया जाता है तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी।

   भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

4. पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी। ये पुस्तकें/पांडुलिपियां वापिस नहीं की जाती हैं।

5. पुस्तकें लगभग 100 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए।

6. योजना भाग-2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय की विस्तृत रूपरेखा और अपना बायोडाटा तीन प्रतियों में भेजे।
7. इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो।
8. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों/रूपरेखाओं का मूल्यांकन, एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है, तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि को कम कर दे।
9. किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी तीन वर्षों के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।
10. उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक/पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो कार्यालय में 30.9.2015 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।
11. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :

संपादक हिंदी

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3/4 तल, लोदी रोड,

सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

फोन-011-71213215

संबंधित जानकारी ब्यूरो की वेब साइट
www.bprd.nic.in पर भी देख सकते हैं।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :—

संपादक

पुलिस विज्ञान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, चौथी मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

फोन : 71213215

वैब साइट — डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-71213215, फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (अनु.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. ऋता तिवारी, डा. उपनीत लाली	775/-
23.	**वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति**	श्री राकेश प्रकाश	
24.	**आतंकवाद एवं जन साझेदारी**	श्री विश्वेश शर्मा	665/-
25.	**व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास**	श्रीमती नीना लांबा	665/-
26.	**बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास**	प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव	665/-
27.	**नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका**	श्री राकेश कुमार सिंह	1140/-
28.	**अपेक्षित परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका**	डा. मंजूदेवी	992/-
29.	**पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका**	डा. पंकज श्रीवास्तव एवं नीतू मिश्रा	896/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।